

हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही



3 सितम्बर, 2010

खण्ड - 2, अंक - 1

अधिकृत विवरण



विषय सूची

शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2010

शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)16
चाक आउट	(1)29
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरागम)	(1)30
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)36
बकलाव्य	(1)38
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)42
घोषणायें -	(1)68
(क) अध्यक्ष द्वारा --	(1)68
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(1)68
(ii) अनुपस्थिति की अनुमति	(1)68
(ख) सचिव द्वारा --	(1)70
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों संबंधी	(1)70
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(1)70
स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के परिणाम	(1)71

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपराह्न) हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह बट्टा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे बीच से बहुत सारी विभूतियां, जिनमें राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, देश भक्त, समाज सेवी और हमारे देश की मोमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक शामिल हैं, वे हमें छोड़कर चले गये। वे जिनके प्रति हमें बहुत अधिक सम्मान की ओर से यह क-प्रस्ताव सदन की पटल पर रखता हूँ :—

श्री भैरों सिंह शेखावत, भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति

यह सदन भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत के 15 मई, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 अक्टूबर, 1923 को हुआ। वह 1972 से 1977 तक की अल्पावधि को छोड़ कर 1952 से 2002 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1974-77 के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1977, 1990 तथा 1993 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। वह 1980 से 1990 तथा 1998 से 2002 तक राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वह 2002 में भारत के उप-राष्ट्रपति बने तथा 2002 से 2007 तक राज्य सभा के पदेन सभापति भी रहे।

वह देश के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने वक्फ अधिनियम के तहत राज्य वक्फ प्राधिकरण का गठन किया। उन्होंने अन्धोदय, काम के बदले अभाज तथा अपना गांव-अपना काम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने उर्दू भाषा और उर्दू साहित्य के विकास के लिए राजस्थान राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना की।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनयिक, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बनारसी दास बाल्मीकि, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बनारसी दास बाल्मीकि के 4 मई, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

उनका जन्म 1924 को अज्जर में हुआ। वह 1982-87 के दौरान हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज के कमजोर व गरीब वर्गों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री दिग्विजय सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह के 24 जून, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 14 नवम्बर, 1955 को हुआ। वह 1990 और 2005 में राज्य सभा के लिये चुने गए। वह 1998, 1999 और 2009 में लोक सभा के लिए चुने गए। वह 1990 से 1991 तक केन्द्रीय उप-मंत्री तथा 1999 से 2004 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। उन्हें अपने कार्यकाल में वित्त, विदेशी मामलों, रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का शौर्य प्राप्त हुआ।

उनकी खेलों में गहरी रुचि थी। वह भारत के राष्ट्रीय सार्फल संघ के अध्यक्ष एवं भारतीय ओलम्पिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए।

उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

ठाकुर बहादुर सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य ठाकुर बहादुर सिंह के 1 सितम्बर, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 25 दिसम्बर, 1925 को हुआ। वह 1982-87 के दौरान हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भरथ सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भरथ सिंह के 9 जुलाई, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1944 को कलायत में हुआ। वह 1991 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज के गरीब वर्गों के प्रति समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री शियोताज सिंह, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी।
2. श्री मनोहर लाल, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी।
3. श्री बाबू सिंह, गांव जलालआना, जिला सिरसा।
4. श्री मुख्तयार सिंह, गांव सुताना, जिला पानीपत।
5. श्री दरिया सिंह, गांव मंदौला, जिला भिवानी।
6. श्री श्योराम, गांव रामबास, जिला भिवानी।
7. श्री औम प्रकाश, चरौंडा, जिला करनाल।
8. श्री उमराव सिंह, गांव धनीरवास, जिला झज्जर।
9. श्री जगीर सिंह, गांव हाबड़ी, जिला कैथल।
10. श्री प्रभा सिंह, गांव ककथोर-नाजरा, जिला कैथल।
11. श्री हरदयाल सिंह, गांव तारुआना, जिला सिरसा।
12. श्री गजे सिंह, गांव झांसवा, जिला झज्जर।
13. श्री दूले राम, गांव निलोठी, जिला झज्जर।
14. श्री राधेल सिंह, ऐलनाबाद, जिला सिरसा।
15. श्री थंबूराम, गांव ईशरवाल, जिला भिवानी।
16. श्री गणेशी लाल, गांव खरकड़ी, जिला गुड़गांव।
17. श्री तेजपाल, गांव घामड़ीज, जिला गुड़गांव।
18. श्री अमीचंद, गांव कलवाड़ी, जिला भेवात।
19. श्री सत्य पाल, गांव चांग, जिला भिवानी।
20. श्री सुरता राम, गांव छालर, जिला जीन्द।
21. श्री गोवर्धन सिंह, गांव फदनी, जिला रेवाड़ी।
22. श्री हनवंत सिंह, गांव बाघड़ू, जिला सोनीपत।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस तथा अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुये अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इस महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कर्नल रणजीत सिंह, करनाल।
2. मेजर जोगिन्द्र सिंह, गांव सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सूबेदार जितेन्द्र, गांव खातीवास, जिला झज्जर।
4. नायब सूबेदार, बालकिशन, गांव कनीना, जिला महेन्द्रगढ़।
5. नायब सूबेदार, हंसराज, गांव पाबनी कलां, जिला थमुनानगर।
6. नायब सूबेदार, राजपाल, गांव मिलकपुर, जिला हिसार।
7. नायब सूबेदार, प्रभु दयाल, गांव लोहिना, जिला पलवल।
8. नायब सूबेदार, महेन्द्र, गांव बहरामपुर, जिला पानीपत।
9. उप-निरीक्षक बरतीराम, गांव नांगल मोहनपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
10. उप-निरीक्षक मान सिंह, गांव बुद्धशैली, जिला भिवानी।
11. हवलदार प्रताप सिंह, गांव फफड़ाना, जिला करनाल।
12. हवलदार कंवर सिंह, गांव कोका, जिला महेन्द्रगढ़।
13. हवलदार अशोक कुमार, गांव नाहरा, जिला अम्बाला।
14. नायक देवेन्द्र, गांव भाला, जिला रेवाड़ी।
15. नायक राजेन्द्र, गांव झाबुआ, जिला रेवाड़ी।
16. नायक दशरथ, गांव खानपुर खुर्द, जिला झज्जर।
17. नायक हुसन लाल, गांव ब्रास, जिला करनाल।
18. सिपाही प्रदीप, गांव आलमपुर, जिला भिवानी।
19. सिपाही बलबीर सिंह, गांव मुंडलाना, जिला सोनीपत।
20. सिपाही संदीप, गांव नंदगांव, जिला भिवानी।
21. सिपाही प्रवीण, गांव खातीवास, जिला महेन्द्रगढ़।
22. सिपाही बलबीर सिंह, गांव जागसी, जिला सोनीपत।
23. सिपाही युद्धवीर सिंह, गांव अचीना, जिला भिवानी।
24. सिपाही भुरासलीम खान, गांव खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।

25. सिपाही रामभगत, गांव मदीना, जिला सोनीपत।

26. सिपाही परचिन्द्र, गांव प्राणपुरा, जिला रेवाड़ी।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर उन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मैंगलोर विमान दुर्घटना

यह सदन 22 मई, 2010 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

प्राकृतिक आपदा

यह सदन 6 अगस्त, 2010 को लेह तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने के कारण आई भीषण बाढ़ में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सड़क दुर्घटना

यह सदन 1 अगस्त, 2010 को उत्तराखण्ड में डबरानी के निकट सड़क दुर्घटना में मारे गए जिला गुडगांव के गांव बाघनकी, खेड़की, गुडगांव तथा सोहना के 24 कांवड़ियों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

बाढ़ विभीषिका

यह सदन जुलाई-अगस्त 2010 में हरियाणा में आई बाढ़ में मरने वाले 38 लोगों के साथ-साथ अन्य राज्यों में बाढ़ से मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

नक्सली हमले

यह सदन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में माओवादियों द्वारा नक्सली हमलों में मारे गए अर्ध सैनिक बलों के जवानों तथा निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

बिजली करंट दुर्घटना

यह सदन मेवात जिले के गांव खेडला में 28 अगस्त, 2010 को बिजली का करंट लगने की दर्दनाक दुर्घटना में मारी गई दो लड़कियों एवं छः महिलाओं के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन दिवंगलों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

विपक्ष के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समधी ब्रिगेडियर श्री करण सिंह;

मुख्य संसदीय सचिव श्री जयवीर बात्मीकि की माता श्रीमती लडिया देवी;

मुख्य संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर के ताऊ कामरेड करण सिंह;

विधायक श्री आनन्द सिंह दांगी की माता श्रीमती फूला देवी;

विधायक राव धर्मपाल सिंह के भाई श्री फूल सिंह;

विधायक श्री जगदीश नायर की माता श्रीमती रामसरी देवी;

विधायक श्री धनश्याम सर्राफ के भाई श्री अजय सर्राफ;

विधायक श्री कृष्ण कम्बोज की माता श्रीमती भरियां बाई;

विधायक श्री कली राम के भतीजे की पत्नी श्रीमती संगीता;

पूर्व मंत्री श्री शशिपाल मेहता के भाई श्री फकीर चन्द मेहता;

पूर्व मंत्री श्री मांगे राम नम्बरदार की पुत्रवधू श्रीमती सुमित्रा देवी;

पूर्व सांसद श्री जगबीर सिंह के भाई श्री चांदवीर सिंह तथा पूर्व विधायक श्री सतविन्द्र राणा की माता श्री लक्ष्मी देवी तथा डाक्टर रघुवीर सिंह काश्मियान, विधायक, बेरी के ताऊ चौधरी फतेह सिंह और हमारे बहादुरगढ़ से विधायक राजेन्द्र सिंह जून के ताऊ राम सिंह जून जो कि स्वतंत्रता सेमानी थे के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगलों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के सत्र और इस सत्र के बीच में कुछ ऐसी विभूतियां हम सबको छोड़कर इस संसार से चली गई हैं जिनकी क्षति-पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल है। विशेषकर श्री मैरों सिंह शेखावत जी राजस्थान के सीकर जिला के खाचरिधावास गांव के एक गरीब परिवार में पैदा हुए। एक गरीब घर में पैदा होकर उन्होंने एक बहुत ऊंचे उप-राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। अपने कुशल व्यवहार से, अपनी मेहनत से और अपनी लोकप्रियता से वे न सिर्फ राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बल्कि उप-राष्ट्रपति पद पर पहुंचे और लोगों की सेवा की। आज वे हमारे बीच में नहीं रहें हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे, अनुभवी राजनेता और एक

प्रखर वक्ता भी थे, उनकी कमी आज पूरी करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ। मेरा व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरे प्रति उनका बहुत आगाढ़ प्रेम-प्यार और स्नेह था। मुझे उनके इस दुनिया से जाने पर बेहद दुःख हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से मृतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री दिग्विजय सिंह के 29 जून, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनसे मेरा व्यक्तिगत बहुत ज्यादा सम्पर्क था। चाहे वह केन्द्रीय कैबिनेट में मंत्री रहे हों, चाहे वह मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट रहें हों और चाहे वह खेल जगत से जुड़े रहे हों लेकिन वह एक अच्छे किसान नेता थे। वह एक अनुभवी प्रशासक के साथ-साथ बड़े प्रखर वक्ता भी थे। अध्यक्ष महोदय, यह भी एक संयोग की बात है कि दिग्विजय सिंह और भैरों सिंह शेखावत का बड़ा अगाध प्रेम था और इसी वजह से भैरों सिंह शेखावत के जाने के बाद थोड़े अर्से में ही वे भी इस जहान से चले गए क्योंकि वे भैरों सिंह शेखावत के निधन को भूला नहीं पाए थे।

अध्यक्ष महोदय, बनारसी दास बाल्मीकि इस सदन के मृतपूर्व सदस्य रहे हैं लेकिन वह भी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

ठाकुर बहादुर सिंह सिरसा जिले के रहने वाले थे और विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे। वह एक अच्छे मिलनसार काबिल और योग्य व्यक्ति थे। वह भी आज हमारे बीच में नहीं हैं। सिरसा जिले के ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग उनके दुःख को सहन करने में असमर्थ हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री भरत सिंह और श्री बनारसी दास एक ही विधान सभा क्षेत्र से रहे थे लेकिन आज भरत सिंह हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सृष्टि की रचना से लेकर लगातार हमारा देश उन स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी रहा है जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से, अपने बलिदानों से न सिर्फ देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाया है बल्कि हमें सुख की सांस लेने का अवसर भी प्रदान किया है। इस तरह के महान् स्वतंत्रता सेनानी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं --

1. श्री शियोताज सिंह, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी।
2. श्री मनोहर लाल, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी।
3. श्री बाबू सिंह गांव जलालाना, जिला सिरसा।
4. श्री मुख्तार सिंह, गांव सुलाना, जिला पानीपत।
5. श्री दरिया सिंह, गांव मंदोला, जिला भिवानी।
6. श्री खोराम, गांव रामबास, जिला भिवानी।
7. श्री ओम प्रकाश, घरौंडा, जिला करनाल।
8. श्री उमराव सिंह, गांव धनीरवा, जिला झज्जर।
9. श्री जगीर सिंह, गांव हाबड़ी, जिला कैथल।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

10. श्री प्रभा सिंह, गांव कक्योर-भाजरा, जिला कैथल।
11. श्री हरदयाल सिंह, गांव तारुआना, जिला सिरसा।
12. श्री गजे सिंह, गांव झांसवा, जिला झज्जर।
13. श्री दूले शम, गांव निलोटी, जिला झज्जर।
14. श्री रावेल सिंह, ऐलनाबाद, जिला सिरसा।
15. श्री थंबूराम गांव ईशरवाल, जिला भिवानी।
16. श्री गणेशी लाल, गांव खरकड़ी, जिला गुडगांव।
17. श्री तेजपाल, गांव घामड़ी, जिला गुडगांव।
18. श्री अमीचंद, गांव कलवाड़ी, जिला मेवात।
19. श्री सत्य पाल, गांव चांग, जिला भिवानी।
20. श्री सुरता राम, गांव छारार, जिला जीन्द।
21. श्री गोवर्धन सिंह, गांव फदनी, जिला रेवाड़ी।
22. श्री हनवंत सिंह, गांव बाघड़ू, जिला सोनीपत।

यह सदन इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के वे वीर शहीदों, जिन्होंने इस देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए, उनके नाम इस प्रकार से हैं -

1. कर्नल रणजीत सिंह, करनाल।
2. मेजर जोगिन्द्र सिंह, गांव सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सूबेदार जितेन्द्र, गांव खातीवास, जिला झज्जर।
4. नायब सूबेदार, बालकिशन, गांव कनीना, जिला महेन्द्रगढ़।
5. नायब सूबेदार, हंसराज, गांव पाबनी कला, जिला यमुनानगर।
6. नायब सूबेदार, राजपाल, गांव मिल्कपुर, जिला हिसार।
7. नायब सूबेदार, प्रभु दयाल, गांव लोहिना, जिला पलवल।
8. नायब सूबेदार महेन्द्र, गांव बरहामपुर, जिला पानीपत।
9. उप-निरीक्षक बस्तीराम, गांव भांगल मोहनपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
10. उप-निरीक्षक मान सिंह, गांव बुद्धशैली, जिला भिवानी।
11. हवलदार प्रताप सिंह, गांव फफड़ाना, जिला करनाल।
12. हवलदार कंवर सिंह, गांव कोका, जिला महेन्द्रगढ़।
13. हवलदार अशोक कुमार, गांव नाहरा, जिला अम्बाला।

14. नायक देवेन्द्र, गांव भाला, जिला रेवाड़ी।
15. नायक राजेन्द्र, गांव झाबुआ, जिला रेवाड़ी।
16. नायक दशरथ, गांव खानपुर खुर्द, जिला झज्जर।
17. नायक हुसन लाल, गांव ब्रास, जिला करनाल।
18. सिपाही प्रदीप, गांव आलमपुर, जिला भिवानी।
19. सिपाही बलबीर सिंह, गांव मुंडलाना, जिला सोनीपत।
20. सिपाही संदीप, गांव नंदगाव, जिला भिवानी।
21. सिपाही प्रवीण, गांव खातीवास, जिला महेन्द्रगढ़।
22. सिपाही बलबीर सिंह, गांव जागसी, जिला सोनीपत।
23. सिपाही, युद्धवीर सिंह, गांव अचीना, जिला भिवानी।
24. सिपाही मुरासलीम खान, गांव खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।
25. सिपाही रामभगत, गांव मदीना, जिला सोनीपत।
26. सिपाही परविन्द्र, गांव प्राणपुरा, जिला रेवाड़ी।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर उन्हें शत-शत नमन करता है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से 22 मई, 2010 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुई विमाण दुर्घटना में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ व दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिनांक 6 अगस्त, 2010 को लेह तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने के कारण आई भीषण बाढ़ में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिनांक 1 अगस्त, 2010 को उत्तराखंड में डबरानी के निकट सड़क दुर्घटना में मारे गए जिला गुडगांव के गांव बाघनकी, खेडकी, गुडगांव तथा सोहना के 24 कांवडियों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से जुलाई-अगस्त, 2010 में हरियाणा में आई बाढ़ में मरने वाले 38 लोगों के साथ-साथ अन्य राज्यों में बाढ़ से मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी के तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में माओवादियों द्वारा नक्सली हमलो में मारे गए अर्ध सैनिक बलों के जवानों तथा निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से मेवात जिले के गांव खेड़ला में 28 अगस्त, 2010 को बिजली का करंट लगने की दर्दनाक दुर्घटना में मारी गई दो लड़कियों एवं छः महिलाओं के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से करंट लगने की इस दर्दनाक दुर्घटना में हुए दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से मेरे समधी ब्रिगेडियर श्री करण सिंह, मुख्य संसदीय सचिव श्री जयवीर बाल्मीकि की माता श्रीमती लड़िया देवी, मुख्य संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर के ताऊ कामरेड करण सिंह, विधायक श्री आनंद सिंह झांगी की माता श्रीमती फूला देवी, विधायक राव धर्मपाल सिंह के भाई श्री फूल सिंह, विधायक श्री जगदीश नायर की माता श्रीमती रामसरी देवी, विधायक श्री घनश्याम सराफ के भाई श्री अजय सराफ, विधायक श्री कृष्ण कंबोज की माता श्रीमती भरिया देवी, विधायक श्री कली राम के भतीजे की पत्नी श्रीमती संगीता, पूर्व मंत्री श्री शशिपाल मेहता के भाई श्री फकीर चंद मेहता, पूर्व मंत्री श्री भागे राम नंबरदार की पुत्रवधू श्रीमती सुमित्रा देवी, पूर्व सांसद श्री जगबीर सिंह के भाई श्री चांदवीर सिंह तथा पूर्व विधायक श्री सतविंद्र सिंह राणा की माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (तिगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शोखावत के 15 मई, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 23 अक्टूबर, 1923 को हुआ। वह 1972 से 1977 की अस्थावधि को छोड़कर 1952 से 2002 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। 1974-77 के दौरान राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977, 1990 तथा 1993 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। वह 1980 से 1990 तथा 1998 से 2002 तक राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वह 2002 में भारत के उप-राष्ट्रपति बने तथा 2002 से 2007 तक राज्यसभा के पदेन सभापति भी रहे। वह देश के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने बकफ अधिनियम के तहत राज्य बकफ प्राधिकरण का गठन किया। उन्होंने 'अन्त्योदय', 'काम के बदले अनाज' तथा 'अपना गांव अपना काम' जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने उर्दू भाषा और उर्दू साहित्य के विकास के लिए राजस्थान राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना की।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनयिक, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह के 24 जून, 2010 को हुए दुःखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

वे 1990 और 2005 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 1998, 1999 और 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। वे 1990 से 1991 तक केंद्रीय उप-मंत्री तथा 1999 से 2004 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। उन्हें अपने कार्यकाल में वित्त, विदेशी मामले, रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी खेलों में गहरी रुचि थी। वे भारत के राष्ट्रीय राईफल संघ के अध्यक्ष एवं भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनयिक, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, बनारसी दास बाल्मीकि, ठाकुर बहादुर सिंह और श्री भरत सिंह जी भी इस सदन के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं लेकिन वह भी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सृष्टि की रचना से लेकर लगातार हमारा देश उन स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी रहा है जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से, अपने बलिदानों से न सिर्फ देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाया है बल्कि हमें सुख की सांस लेने का अवसर भी प्रदान किया है। इस तरह के महान् स्वतंत्रता सेनानी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं --

1. श्री शियोलाज सिंह, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी।
2. श्री मनोहर लाल, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी।
3. श्री बाबू सिंह गांव जलालाबा, जिला सिरसा।
4. श्री मुख्तार सिंह, गांव सुताना, जिला पानीपत।
5. श्री हरिया सिंह, गांव मंदोला, जिला भिवानी।
6. श्री श्योराम, गांव रामबास, जिला भिवानी।
7. श्री ओम प्रकाश, चरौंडा, जिला करनाल।
8. श्री उमराव सिंह, गांव धनीरवा, जिला झज्जर।
9. श्री जगीर सिंह, गांव हाबड़ी, जिला कैथल।
10. श्री प्रभा सिंह, गांव कक्थोर-माजरा, जिला कैथल।
11. श्री हरदयाल सिंह, गांव तारुआबा, जिला सिरसा।
12. श्री गजे सिंह, गांव झांसवा, जिला झज्जर।
13. श्री दूले राम, गांव निलोटी, जिला झज्जर।
14. श्री रावेल सिंह, ऐलनाबाद, जिला सिरसा।
15. श्री थंबूराम गांव ईशरवाल, जिला भिवानी।
16. श्री गणेशी लाल, गांव खरकड़ी, जिला गुड़गांव।
17. श्री तेजपाल, गांव घामड़ीज, जिला गुड़गांव।
18. श्री अमीचंद, गांव कलवाड़ी, जिला मेवात।

[श्री कृष्ण पाल गुर्जर]

19. श्री सत्य पाल, गांव चांग, जिला भिवानी।
20. श्री सुरता राम, गांव छात्तर, जिला जीन्द।
21. श्री गोवर्धन सिंह, गांव फदनी, जिला रेवाड़ी।
22. श्री हनवंत सिंह, गांव बाघडू, जिला सोनीपत।

यह सदन इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के वे वीर शहीदों जिन्होंने इस देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए, उनके नाम इस प्रकार से हैं :-

1. कर्नल रणजीत सिंह, करनाल।
2. मेजर जोगिन्द्र सिंह, गांव सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सूबेदार जितेन्द्र, गांव खालीवास, जिला झज्जर।
4. नायब सूबेदार, बालकिशन, गांव कनीना, जिला महेन्द्रगढ़।
5. नायब सूबेदार, हंसराज, गांव पाश्नी कलां, जिला यमुनानगर।
6. नायब सूबेदार, राजपाल, गांव मिलकपुर, जिला हिसार।
7. नायब सूबेदार, प्रभु दयाल, गांव लोहिना, जिला पलवल।
8. नायब सूबेदार, महेन्द्र, गांव बरहामपुर, जिला पानीपत।
9. उप-निरीक्षक, बस्तीराम, गांव नांगल मोहनपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
10. उप-निरीक्षक, मान सिंह, गांव बुद्धशैली, जिला भिवानी।
11. हवलदार, प्रताप सिंह, गांव फफडाना, जिला करनाल।
12. हवलदार, कंवर सिंह, गांव कोका, जिला महेन्द्रगढ़।
13. हवलदार, अशोक कुमार, गांव नाहरा, जिला अम्बाला।
14. नायक, देवेन्द्र, गांव भाला, जिला रेवाड़ी।
15. नायक, राजेन्द्र, गांव झाडुआ, जिला रेवाड़ी।
16. नायक, दशरथ, गांव खानपुर खुर्द, जिला झज्जर।
17. नायक, हुसन लाल, गांव ब्रास, जिला करनाल।
18. सिपाही, प्रदीप, गांव आलमपुर, जिला भिवानी।
19. सिपाही, बलबीर सिंह, गांव मुंडलाना, जिला सोनीपत।
20. सिपाही, संदीप, गांव नंदगाव, जिला भिवानी।
21. सिपाही, प्रवीण, गांव खातीवास, जिला महेन्द्रगढ़।
22. सिपाही, बलबीर सिंह, गांव जागसी, जिला सोनीपत।
23. सिपाही, युद्धवीर सिंह, गांव अच्चीना, जिला भिवानी।

24. सिपाही, मुरांसलीम खान, गांव खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।
25. सिपाही, रामभगत, गांव मदीना, जिला सोनीपत।
26. सिपाही, परविन्द्र, गांव प्राणपुरा, जिला रेवाड़ी।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर उन्हें शत-शत नमन करता है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से 22 मई, 2010 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ व दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिनांक 6 अगस्त, 2010 को लेह तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने के कारण आई भीषण बाढ़ में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिनांक 1 अगस्त, 2010 को उत्तराखण्ड में डबरानी के निकट सड़क दुर्घटना में मारे गए जिला गुडगांव के गांव बाघनकी, खेड़की, गुडगांव तथा सोहना के 24 कांवेडियों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से जुलाई-अगस्त, 2010 में हरियाणा में आई बाढ़ में मरने वाले 38 लोगों के साथ-साथ अन्य राज्यों में बाढ़ से मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में माओवादियों द्वारा भक्कली हमलो में मारे गए अर्ध सैनिक बलों के जवानों तथा निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से मेवात जिले के गांव खेड़ला में 28 अगस्त, 2010 को बिजली का करंट लगने की दर्दनाक दुर्घटना में मारी गई दो लड़कियों एवं छः महिलाओं के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से करंट लगने की इस दर्दनाक दुर्घटना में हुए दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

[श्री कृष्ण पाल गुर्जर]

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से मेरे समधी ब्रिगेडियर श्री करण सिंह, मुख्य संसदीय सचिव श्री जयवीर बाल्मीकि की माता श्रीमती लड़िया देवी, मुख्य संसदीय सचिव कुमारी राटौर के तारु कामरेड करण सिंह, विधायक श्री आनंद सिंह दांगी की माता श्रीमती फूला देवी, विधायक राव धर्मपाल सिंह के भाई श्री फूल सिंह, विधायक श्री जगदीश नायर की माता श्रीमती रामसरी देवी, विधायक श्री घनश्याम सराफ के भाई श्री अजय सराफ, विधायक श्री कृष्ण कंबोज की माता श्रीमती भरिया देवी, विधायक श्री कली राम के भतीजे की पत्नी श्रीमती शंगीता, पूर्व मंत्री श्री शशिपाल मेहता के भाई श्री फकीर चंद मेहता, पूर्व मंत्री श्री मांगे राम नंबरदार की पुत्रवधु श्रीमती सुमित्रा देवी, पूर्व सांसद श्री जगवीर सिंह के भाई श्री चांदवीर सिंह तथा पूर्व विधायक श्री सतविंद्र सिंह राणा की माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसके साथ ही सदन के नेता जी ने जो तीन नाम जोड़े हैं मैं उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें मंत्री) (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शकुन्तला खटक, जो हमारी साथी विधायिका हैं की नन्द श्रीमती निर्मला देवी का स्वर्गवास भी 2 सितम्बर को हुआ है। मेरा अनुरोध है कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव की सूची में जोड़ लिया जाए।

Shri Kuldeep Bishnoi : Speaker Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. I stand in this august House to pay my deepest condolence to the departed souls and to pay my respect and my sympathy to the aggrieved families. Speaker Sir, for any human being it is the hardest occurrence which somebody suffers. So, it is the responsibility of the Government to be sympathetic towards those human beings and at this time the duty of the Government towards these families becomes even greater. The deaths of the great personalities have not only caused loss to the nation but also to the humanity as a whole. I pay my great and deepest condolence to the family members of the deceased as a whole. As you know the time has discredited heroes and it is the family members of those deceased who have to live with apathy. These great souls like Bhairon Singh Shekhawat Ji, Digvijay Singh ji, Banarsi Dass Balmiki ji, Thakur Bahadur Singh ji, Bharath Singh ji and other people जितने भी हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी या शहीद हैं या मंगलौर विमान दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ They all lived their life with integrity and with self-respect. As a member of this House, I feel that this House should pay condolence to two more names which I want to add and they are Tara Chand and Suman. Both are from Mirchpur village and if we add their names in the obituary तो मुझे लगता है कि इससे सदन का विश्वास दलित समुदाय की ओर जुड़ेगा और मैं इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members I associate myself with the obituary references made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by other Members of

the House. During the last Session and the present Session many renowned personalities have passed away.

I feel deeply grieved on the said demise of Sarvshri Bhairon Singh Shekhawat, former Vice-President of India, Digvijay Singh, former Union Minister of State, Banarsi Dass Balmiki, Thakur Bahadur Singh, Bharath Singh, former Members of Haryana Vidhan Sabha all the freedom fighters and Martyrs of Haryana whose names have been mentioned by the Hon'ble Chief Minister, the persons who lost their lives in a Plane Crash Tragedy on 22nd May, 2010 at Mangalore, all the persons who lost their lives due to cloudburst in Leh, 24 Kanwaris of Gurgaon District who lost their lives in a road accident in Urrarkhand, 38 persons who lost their lives in massive flash floods in Haryana in July and August, 2010, all the persons who lost their lives in Naxals attacks by Maoists, 2 girls and 6 women who died due to electrocution incident in Mewat and close relatives of Members of this House.

Shri Bhairon Singh Shekhawat was not only a renowned personality of Rajasthan, but by virtue of his qualities he also became a national leader who occupied the prestigious post of Vice-President of India.

Shri Digvijay Singh remained Member of Parliament for 5 terms and he also remained Union Deputy Minister for about 10 years. He was a great statesman and an able administrator.

Shri Banarsi Dass Balmiki was a Member of this House during 1982-1987. He was a great social worker and worked hard for the upliftment of poorer sections of the society.

Thakur Bahadur Singh was also a Member of this House during 1982-1987. He worked tirelessly for the welfare of the farmers and other weaker sections of the society.

Shri Bharath Singh was elected to this House in 1991. He was a committed social worker.

The freedom fighters and Martyrs are always remembered by the society due to their selfless service to the society and deep love for the country and countrymen.

It is very unfortunate for the persons who lost their lives in natural calamities and accidents and their untimely deaths left their families in a tragic situation. The society, as a whole should take special care of all such persons.

Mr. Speaker : We have lost our many dears and nears and their absence will be felt by all of us for long.

I pray to Almighty to give peace to these departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood in silence as a mark of respect to the memory of deceased for two minutes.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Questions Hour starts.

तारांकित प्रश्न संख्या 191

(इस समय माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह हुल सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

Depleting underground Water Table

*201. Shri Ram Pal Majra : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether the underground water table is depleting in the State; if so, the area-wise details thereof togetherwith the steps taken to check the depletion ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Yes sir. The requisite details alongwith the steps taken to check the depletion of ground water are placed on the Table of the House.

Districtwise average depth to water table and decline from June, 1999 to June, 2010.

Sr. No.	District	Period		Decline June, 1999 to June, 2010 (meters)
		Depth to water table (meters) June, 1999	June, 2010	
1	2	3	4	5
1.	Ambala	5.45	10.61	5.16
2.	Bhiwani	16.19	22.14	5.95
3.	Faridabad	8.71	13.56	4.85
4.	Fatehabad	6.42	20.59	14.17
5.	Gurgaon	15.22	24.97	9.75
6.	Hisar	5.87	8.22	2.35
7.	Jind	5.92	12.67	6.75
8.	Jhajjar	4.49	5.49	1.00
9.	Kurukshetra	16.72	29.83	13.11
10.	Kaithal	7.78	20.24	12.46
11.	Karnal	7.59	16.98	9.39
12.	Mahendergarh	25.01	46.70	21.69
13.	Mewat	7.14	11.58	4.44
14.	Palwal	5.72	8.97	3.25

1	2	3	4	5
15.	Panipat	8.53	16.02	7.49
16.	Panchkula	11.17	15.92	4.75
17.	Rohtak	3.80	4.35	0.55
18.	Rewari	13.07	23.08	10.01
19.	Sonipat	5.33	8.34	3.01
20.	Sirsa	9.45	17.28	7.83
21.	Yamunanagar	7.13	13.34	6.21
State Average		9.36	16.71	7.35

Steps taken to check depletion of ground water table :—

1. Haryana State preservation of Sub Soil Water Act, 2009 has been enacted which prohibits sowing and transplanting of paddy before 15th of May and 15th of June, respectively.
2. Agriculture Department has introduced a State Plan Scheme from the year 2005-06 viz. "Accelerated Recharge to Ground Water" to recharge the ground water in water deficit areas of the State. Under this scheme, 418 Rain Water Harvesting structures have been constructed till March, 2010. A target of construction of 80 rain water harvesting structures has been fixed for the year 2010-11.
3. Irrigation Department is taking remedial measures by implementing various recharging schemes. 27 recharge schemes have been completed, 5 schemes are in progress and 18 more such schemes are proposed to be implemented in the State during 2010-11.
4. Haryana Urban Development Authority and Urban Local Bodies Department have made it mandatory for all govt. buildings and all private houses in HUDA Estates as well as Municipal Areas having roof top surface area of 100 sq.m. or more to have a Rain Water Harvesting Structure.
5. Rural Development Department has spent an amount of Rs. 119.00 crores during the period 2006-07 to 2010-11 (upto July, 2010) on watershed development projects under Desert Development Programme (DDP) and Integrated Wastelands Development Programme (IWDP). Water Conservation and Water Harvesting is being given the top most priority under MGNREGS and so far an amount of Rs. 95.17 crores has been spent on water conservation and water harvesting.
6. Agriculture Department is also implementing national Watershed Development Project for Rainfed Areas (NWDPA), Flood Prone River (Ghaggar) and Sub Mountainous Schemes under which activities like water harvesting structures, gully plugging, check dams, percolation embankments etc. are taken up. During 2010-11, a budget provision of Rs. 612.00 lakhs has been made under the scheme.

[Sardar Paramvir Singh]

7. Agriculture Department is encouraging the farmers to adopt Drip and Sprinklers for irrigation to economize the use of irrigation water. Subsidy @ 50% of the cost or Rs. 7500 per hectare for the promotion of Sprinkler system is being provided. An amount of Rs. 50.00 crore has been kept for this purpose during the year 2010-11.
8. In order to prevent seepage and evaporation losses, the department is providing subsidy to the farmers @ 50% of the cost or Rs. 60,000 per beneficiary for laying of Underground Pipe Line System. An amount of Rs. 40.00 crore has been kept for this purpose during 2010-11.
9. Land leveling with laser levelers is being promoted. This saves about 20% of irrigation and improves crop production. Govt. has procured 100 No. of laser levelers which are given to the farmers on custom hiring basis.
10. Zero tillage technology is being promoted which saves about 15% of irrigation water.
11. Massive Awareness Campaign has been launched to educate the farmers regarding conservation of groundwater and judicious use of irrigation water. Farmers are being advised to grow less water intensive crops.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जल प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 1994 में एक्ट बना था लेकिन इसके बावजूद भी पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ आपके कुरुक्षेत्र जिले में भी वाटर टेबल 13.11 फुट नीचे चला गया है।

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, शायद आपको आज के समय की कुरुक्षेत्र जिले की ग्राऊंड वाटर टेबल की पोजीशन की सही जानकारी नहीं है क्योंकि आज की डेट में वहाँ वाटर टेबल 20 फुट ऊपर आ गया है। यह लेटेस्ट फिगर है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं यह सब गवर्नमेंट द्वारा जो टेबल ऑन दी ऑफ दी हाऊस दी गई है उसमें से पढ़कर बता रहा हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, जिस रिपोर्ट से माजरा जी आंकड़े पढ़ रहे हैं वह जून, 2010 की है लेकिन आज की तारीख में सही बात यही है कि आज कुरुक्षेत्र में ग्राऊंड वाटर टेबल का लेवल 20 फुट ऊपर आ चुका है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं यह बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने भी यह चेतावनी दी है कि अगर हमारे प्रदेश में ग्राऊंड वाटर टेबल का लेवल इसी प्रकार से नीचे जाता रहा तो एक दिन हमारे प्रदेश की फूड सिक्योरिटी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्था ने भी रिपोर्ट दी है कि जिसमें कहा गया है कि 62 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से ग्राऊंड वाटर टेबल का लेवल नीचे जा रहा है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे गांधी और शहर के स्तर पर ग्राऊंड वाटर टेबल के डाटा बैंक बनायेंगे और एक ऐसी वेबसाइट तैयार करेंगे जिसमें पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं पानी के सदुपयोग और दुरुपयोग सम्बन्धी पूर्ण जानकारी मिल सकेगी ? अगर ऐसी वेबसाइट तैयार करने की सरकार की कोई प्रयोजन है तो उसे कब तक कार्यरूप दिया जायेगा ?

सरदार परमवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उनका सुझाव वैल्युएबल है हम सरकार के स्तर पर इसको एग्जामिन करवायेंगे और उसके बाद जो भी उचित कदम होंगे उन्हें उठाया जायेगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, यह बहुत ही अहम प्रश्न है कि आज भूमिगत पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है। अगर सरकार इस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दे तो यह ग्राउंड वाटर टेबल बड़ी आसानी से रिचार्ज होकर ऊपर आ सकता है। जिस प्रकार से आज गांधी के अन्दर जो जोहड़ हैं वे बरसात के दिनों में ओवरफ्लो हो जाते हैं। उनके ऊपर सिंग बांध बने हुए हैं जिनकी वजह से पानी बाहर निकलने की बजाय गांव की गलियों और एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान पहुंचाता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कृषिमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके तहत गांधी के इन जोहड़ों के पानी को डीप बोर करके ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए यूज किया जायेगा ? क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है और अगर कोई ऐसी योजना है तो उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बहुत सी योजनायें चल रही हैं। ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उसमें थेस्ट लैंड डिवेलपमेंट की स्कीम है। वाटर रिचार्जिंग के लिए सिंचाई विभाग की भी कई योजनायें चल रही हैं तथा जो भी सम्भव होगा वह हम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, जोहड़ों को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्से में साफ पानी और दूसरे हिस्से में गंदा पानी चला जायेगा। साफ पानी वाले हिस्से में बोर करके उस पानी को नीचे पहुंचा देंगे जिससे वाटर रिचार्जिंग का काम हो जायेगा। कई जगह बोर करके पानी नीचे पहुंचाया गया है और बोर भी किये जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो लिखित स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखी है उसके भाग 2 में लिखा हुआ है कि :- "Agriculture Department has introduced a State Plan Scheme from the year 2005-06 viz. Accelerated Recharge to Ground Water" to recharge the ground water in water deficit areas of the State. Under this scheme, 418 Rain Water Harvesting structures have been constructed till March, 2010" ये उसको पढ़ लें इनका जवाब स्वयं इनको मिल जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो सवाल किये थे लेकिन किसी प्रश्न का भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला। अब माननीय मंत्री जी से एक सवाल और पूछ लेता हूँ। स्पीकर सर, अब बाढ़ आई तो जो लो लार्डन फील्ड थे उनमें पानी भर गया और वहाँ से पानी डिवाटरिंग नहीं हो सका। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर रिचार्ज बोर करके पानी को जल्द जमीन के नीचे पहुंचाने के लिए सरकार की कोई योजना है ? साथ ही साथ मंत्री जी यह भी बता दें कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या सरकार की कोई पॉलिसी विचाराधीन है जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सके ? स्पीकर सर गुजरात में एक लाख चैक डैम बनाये गये हैं। क्या हरियाणा में भी उसी प्रकार से सरकार चैक डैम बनायेगी ? जिससे फल्ट का पानी एक दम से निकल जाये। स्पीकर सर आगे से बनने वाली डिस्ट्रीब्यूट्रीज और माईनर के बेड लेवल को कच्चा रख करके क्या सरकार इस प्रकार की कोई वाटर रिचार्जिंग की कोई योजना बनायेगी और अगर बनायेगी तो कब तक बनाई जायेगी ? इन्होंने हांसी बुटाना माईनर और बी.एम.एल. आदि के नाम पर बहुत शोर मचाया है। जबकि काम कोई नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष : माजरा साहब, यह प्रश्न तो सिंचाई विभाग का है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सिरसा में ओटू झील को हमने तैयार किया है, मसानी बैराज को भी हमने तैयार किया है और बीबीपुर झील को भी हम तैयार कर रहे हैं। इन सब पर हमने काफी काम किया है। रिचार्जिंग के बहुत काम हो रहे हैं। मसानी बैराज को हमने जोड़ दिया है तथा इस पर 6 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। (शोर एवं व्यवधान) बी.एम.एल. ने तो माजरा साइड आपको डूबने से बचा लिया। बी.एम.एल. और हांसी बुटाना भी एक रिचार्जिंग चैनल है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Majra, Please take your seat. Now, Smt. Kavita Jain, MLA may put her question.

तारांकित प्रश्न संख्या 223

(इस समय माननीय सदस्या श्रीमती कविता जैन, सदन में उपस्थित नहीं थी। इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या 226

(इस समय माननीय सदस्य कर्नल रघबीर सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे। इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या 232

(इस समय माननीय सदस्य श्री धनश्याम सर्राफ, सदन में उपस्थित नहीं थे। इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)

Compensation of Land

***213. Shri Kali Ram :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that the compensation of land of residents of Morkhi village acquired for Parana, Gangoli Drain, in Safidon Constituency has not been paid so far; if so, the reasons thereof and the time by which the compensation is likely to be paid ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No Sir.

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पड़ाना ड्रेन जो निकाली गई है उसमें 9 गांवों की जमीन ली गई है उसमें से 8 गांवों को उनकी जमीन का मुआवजा मिल चुका है लेकिन मोरखी गांव को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है जबकि उस ड्रेन में उनकी 35 एकड़ जमीन गई है। मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा देने की क्या सरकार की कोई योजना है और अगर है तो कब तक उनको मुआवजा मिल पायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक तो पड़ाना ड्रेन है तथा दूसरी हाडवा ड्रेन निकाली गई है। माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल सही है कि 8 गांवों को जमीन का मुआवजा मिल चुका है जिसमें सामलो कला, पड़ाना, निडाना, ललित खेड़ा, डुंडाना, भाग खेड़ा, खेम खेड़ा और धिगाणा। इनमें से मोरखी गांव को मुआवजा नहीं दिया गया। उसका मुख्य कारण यह रहा कि जिस समय गांव के लोगों

ने यह जमीन दी थी उस समय सरकार से जमीन के ऐवज में कोई भांग नहीं की गई थी। इसके बाद 2001 में जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार थी उस समय एक महिला श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री श्रीप्रसाद, मई 2001 को मुख्यमंत्री जी से मिली थी। इसलिए केवल उसको ही मुआवजा दिया बाकी सबको छोड़ दिया गया था। स्पीकर सर, जब एक व्यक्ति को मुआवजा दिया गया बाकी सबको छोड़ दिया गया था। स्पीकर सर, जब एक व्यक्ति को मुआवजा दिया गया तब सबका ध्यान रखना चाहिए था लेकिन इन्होंने उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद स्पीकर सर, 2007 में हमारे पास इनकी दोबारा से एप्लीकेशन आई है और as per record of Cash-Book तकरीबन चार लाख के करीब फंड हमने ट्रेजरी में डिपोजिट कर दिया है। स्पीकर साहब इस प्रकार की कई ऐसी जगह है जहां पर ड्रेनेज बन चुकी हैं। उस वक्त तो लोगों ने कहा था कि हमारे यहां पर ड्रेन बना दो हमें मुआवजा नहीं चाहिए। सर, इस मामले में इनकी बात बिल्कुल सही है कि मोरखी गांव में पेमेंट हमने नहीं की है। स्पीकर सर, 2007 में इनकी एप्लीकेशन मुआवजा लेने के लिए आई है और सरकार इस बारे में विचार कर रही है। सर, मुआवजे के बारे में कौर्ट्स की कई जजमेंट्स आई हैं और सरकार उन जजमेंट्स के अनुसार ही देखेगी कि मुआवजा किस प्रकार से देना चाहिए। सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जमीन 1980 में एक्वायर हुई थी और उसके मुताबिक ही हम देखेंगे कि क्या मुआवजा देना चाहिये ? (विघ्न)

श्री कलीराम पटवारी : स्पीकर सर, चौटाला जी ने एक ही आदमी को मुआवजा दिया था। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही हमारी सरकार ने मुआवजा देना शुरू किया था तो उसी वक्त कांग्रेस की सरकार आ गई थी और हमारा जो मुआवजे का काम था वह अधूरा ही रह गया था। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वहां पर इसमें एक समस्या आती है कि सरकारी आदमी जब वहां पर ड्रेन की खुदाई और सफाई करने के लिए मशीन लेकर जाते हैं तो मोरखी गांव के लोग सरकारी मशीनरी को काम करने से रोकते हैं जिसकी वजह से प्रोब्लम आ जाती है और वे लोग वहां पर सफाई नहीं होने देते हैं। जिसकी वजह से वहां से पानी नहीं निकल पाता है और लोगों में तनाव पैदा हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा की मैंने बताया है कि अभी वहां पर सेक्शन 4 और सेक्शन 6 नहीं हुई है। इसके होने के बाद ही सरकार इस बारे में डिसाईड करेगी कि इनको क्या मुआवजा देना चाहिए। सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है हम इस बारे में भी विचार कर रहे हैं और इनकी बात पर भी ध्यान देंगे। स्पीकर सर, 2001 में जब इनकी पार्टी की चौटाला साहब की सरकार थी, उस वक्त ही ये सेक्शन 4 और 6 पूरा करके मुआवजा दे देते। इन्होंने उस वक्त मामला लटका दिया। अब हमारे पास यह मामला आया है तो हम इस मामले को देखेंगे कि किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। हम शारे कानूनी पहलू देखने के बाद ही इस बारे में सरकार कुछ कर सकती है।

Up-gradation of Primary School

***235. Shri Pirthi Singh Nambardar :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Primary Schools of Ward No. 1 and Ward No. 2 of Narwana ?

Smt. Geeta Bhukal Matanhail (Education Minister) : No, Sir.

श्री पृथ्वी सिंह नम्बरदार : स्पीकर सर, नरवाना के इस गांव की 5-6 हजार की आबादी है और वहां पर बच्चों को रेलवे लाईन क्रॉस करके दूसरी जगह पर जाना पड़ता है जिसकी वजह से उन बच्चों की जान को खतरा बना रहता है इसलिए जिन स्कूलों को मैंने अपग्रेड करने के लिए कहा है उनके बारे में मंत्री जी कुछ करें।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न नरवाना के स्कूल को लेकर किया है उस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि नरवाना में इस समय 100 प्राईमरी स्कूल, 76 मिडिल स्कूल और 27 हाई स्कूल गवर्नमेंट के हैं। अध्यक्ष महोदय, नरवाना के जिस पार्टिकुलर प्राईमरी स्कूल वार्ड नं० 1 और वार्ड नं० 2 को अपग्रेड करने के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है उस बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ कि वार्ड नं० 1 में 323 स्टूडेंट्स हैं, 8 रूम और वहां पर आधा एकड़ लैंड है। सर, हमारी सरकार ने अपग्रेडेशन के लिए जो नए नार्मज़ रिवाइज किये हैं उसके हिसाब से हमारे माननीय सदस्य अगर वहां पर एक एकड़ लैंड उपलब्ध करवा देंगे तो हम इनके वार्ड नं० 1 के उस स्कूल को अपग्रेड करवा देंगे। सर, जहां तक वार्ड नं० 2 की बात है, उस बारे में हमने जीट के डी.ई.ओ. से इन्फ्रमेशन मंगवाई है। सर, वार्ड नं० 2 में कोई भी ऐसा प्राईमरी स्कूल नहीं है जिसको अपग्रेड किया जा सके।

चौधरी आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे यहां पर अपग्रेड किए हुए स्कूलों में जो पॉलिसी बनाई जानी थी, उस पॉलिसी को कब तक बंधाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि राईट टू एजुकेशन एक्ट के आने के बाद और जैसा कि हरियाणा सरकार का भी पूरी तरह से प्रयास है कि सभी को एजुकेशन मिले, इसको हम युद्ध स्तर पर हरियाणा में लागू करेंगे। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की भी यही चाह है कि हरियाणा को शिक्षा का हब बनाया जाए। इसी के तहत ही हमारे स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए जो नार्मज़ हैं हमने उनको रिवाइज कर लिया है। इसी के आधार पर जितने भी हमारे स्कूल अपग्रेड हो पाएंगे, हम उनको अपग्रेड करेंगे। हमारी जो ओपनिंग ऑफ स्कूल की पॉलिसी है वह यह है कि प्राईमरी स्कूल खोलने के लिए जहां पर 25 बच्चों की एनरोलमेंट होगी वहां पर आधा एकड़ लैंड रूरल एरियाज के लिए और एक चौथाई लैंड अर्बन एरियाज के लिए होनी चाहिए। हमने इसमें डिस्टेंस का प्रावधान नहीं रखा है लेकिन एक रूम हर एक क्लास के लिए होना चाहिए। प्राईमरी स्कूल खोलने के लिए जहां पर 150 से 300 बच्चे होंगे वहां आधा एकड़ लैंड होनी चाहिए, जहां पर 301 से लेकर 600 बच्चे होंगे वहां पर दो स्कूलज होंगे और जहां पर 601 से 900 बच्चे होंगे वहां पर तीन नये स्कूलज हम खोलेंगे। प्राईमरी स्कूल से मिडिल स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए there should be 150 students from Class-I to Class-V and atleast 25 students must be studying in Class-V for the last 2 years और इसमें लैंड रिक्वायरमेंट जो है वह एक एकड़ रहेगी और डिस्टेंस तकरीबन दो किलोमीटर रहेगी। मिडिल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए कम से कम 210 बच्चे 6th से 8th स्कूल में रहने चाहिए और कम से कम 70 बच्चे क्लास 8th से लेकर दो साल तक लगातार 9th और 10th में रहने चाहिए। इसके लिए लैंड का प्रोविजन दो एकड़ है और नियर बाई स्कूल तकरीबन पांच किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और इसके लिए करीब 14 कमरे होने चाहिए। हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए 150 स्टूडेंट्स must be there from Class-IX to Class-X and as per the record of the Board of School Education पांच किलोमीटर

के रेडियस के अंदर जहां पर भी हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगी, हम स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। इसके लिए लेण्ड तकरीबन दो एकड़ है और डिस्टेन्स पांच किलोमीटर होनी चाहिए। इसमें 14 क्लास रूम भी होने चाहिए। इसके अलावा रूम के साईज एवं रैम्प तथा बहुत सी दूसरी और चीजें हैं जो हमने इसमें अपग्रेड की हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार का यह प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तरक्की की जाए और हमने बहुत ज्यादा तरक्की की भी है। मैं इस बात को आंकड़ों में विशेष तौर पर सदन में लाना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, हमने बजट में शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा पैसे का प्रावधान किया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please listen to me. This is not the way. (Interruptions)

श्रीमती गीता भुक्कल मालनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकदल के अध्यक्ष और रामपाल माजरा जी ने भी कहा है कि हमने बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में किया है। इन्होंने जो इस बात को माना है इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जिन स्कूलों के अंदर कम्प्यूटर टीचरज नहीं हैं वहां पर कम्प्यूटर खरीद-खरीदकर क्थों भेजे जाते हैं ? आज करनाल के एक लोकल न्यूज पेपर में इस बारे में एक खबर लगी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो नरवाना से संबंधित है-फिर ये करनाल के बारे में क्थों पूछ रही हैं ?

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दें।

श्री अध्यक्ष : रामपाल माजरा जी, आप बैठें।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब स्कूलों में कम्प्यूटर टीचरज नहीं हैं तो वहां पर कम्प्यूटर खरीदकर किसलिए भेजे जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बहन जी, टीचर भी भेज देंगे। ऐसा है कि या तो टीचर पहले आएगा या फिर कम्प्यूटर पहले आएगा। एक चीज तो पहले आएगी ही आएगी।

श्रीमती गीता भुक्कल मालनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमने बच्चों के लिए फ्री में कापी और बुक्स का प्रावधान किया है उसी तरह से कम्प्यूटर एजुकेशन देना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। सभी स्कूल में कम्प्यूटर के शिक्षक भिजवाने के लिए हमारी एजेंसी आ चुकी है। There is a provision of 10 computers to be provided in each School. All High and Secondary Schools shall be covered under this provision. 640 Schools have already been covered till 2009-2010 and one thousand Schools will be covered in 2010-2011.

तारांकित प्रश्न संख्या 218

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सांगवान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 245

15.00 बजे (यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राजबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 238

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बिशन लाल सेणी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 260

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नसीम अहमद सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्रीधरी आफताब अहमद : स्पीकर सर

श्री अध्यक्ष : क्या आपको परमिशन मिली है ? Have you taken the permission to speak ?

Shri Aftab Ahmed : No, Sir.

Mr. Speaker : Then please sit down.

Local Area Development Fund

*264. Shri Anil Vij : Will the Finance Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to grant Local Area Development Fund to all the MLA's of Haryana; and
- if so, the amount likely to be granted ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

- No, Sir.
- Question does not arise.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न यह था कि हरियाणा में विधायकों को विकास निधि दी जाए या नहीं दी जाए। देश के सारे सांसदों को 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से विकास निधि दी जाती है। सरपंच को ग्रांट दी जाती है, ब्लॉक समिति के मمبر को ग्रांट दी जाती है, जिला परिषद के सदस्यों को भी ग्रांट दी जाती है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ लगते जितने प्रांत हैं जैसे दिल्ली है उसमें विधायक विकास निधि दी जाती है, राजस्थान प्रदेश में दी जाती है, असम में भी दी जाती है, यू.पी. में दी जाती है और उड़ीसा जैसे गरीब प्रदेश में भी दी जाती है लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश में यह विकास निधि नहीं दी जाती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सीधे क्वेश्चन करें, एलैबोरेट बहुत हो गया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करने ही जा रहा हूँ। इस सवाल का नो में जवाब दिया गया है और सभी सवालों के जवाब में लिखा जाता है कि कौन जवाब दे रहा है लेकिन इस सवाल के जवाब में यह कही नहीं लिखा है, इसमें सीधे नो में जवाब दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जनता हमको चुनकर भेजती है। जनता हमें सत्ता सौंपती है तो जनता उसका जवाब भी हमसे मांगती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सारे प्रदेश की जनता का ठेका क्या आपके पास ही है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जब एक सरपंच सड़क बनवा सकता है और जब एक सांसद सड़क बनवा सकता है तो हरियाणा प्रदेश के एम.एल.ए. को ग्रांट के नाम पर एक नया पैसा भी क्यों नहीं दिया जाता, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, ये जो बार-बार ग्रांट की बात यहां उठा रहे हैं ये इनके समय में ही डिसकंटीन्यू हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अनीता जी, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। स्पीकर साहब के माध्यम से पूछ रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) *****

P. W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, it has to be expunged. It is not acceptable.

Mr. Speaker : I will do it. ये जो अनिल विज गैडम अनीता यादव के बारे में बात कह रहे हैं, उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये सारे हाउस की भावना है और मैं उसके आधार पर यह बात कह रहा हूँ। अनीता जी को आप ये समझाएँ कि ये बीच में इंटरफीयर मत करें। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सारे हाउस की यह भावना है और उसी के आधार पर मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हरियाणा की जनता को जब विधायक से काम होगा तो वे अपना काम करवाने के लिए कहां जाएं, जबकि उनको कोई फंड नहीं दिया जाता है।

Mr. Speaker : Is it the Question ? It is not the question.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he is delivering a speech. If he wants to deliver a speech, he should do it in Zero Hour. He is not asking the question. For the last ten minutes he is delivering speech. अगर स्पीच देनी है तो जीरो ऑवर में दें।

Mr. Speaker : Mr. Vij, put the question straightway.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अब मैं नये सिरे से प्रश्न पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब सबको सारे प्रदेशों में ग्रांट दी जाती है, सरपंचों को दी जाती है और सांसदों को दी जाती है तो हरियाणा प्रदेश के विधायकों को यह ग्रांट क्यों नहीं दी जाती है ? (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री महोदय इसका उत्तर दें। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह जो एम. एल. ए. डिवेलपमेंट एरिया स्कीम थी, यह 1994-95 में लागू की गई थी जब हमारी गवर्नमेंट थी तब यह राशि 20 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाती थी, उसके बाद इस राशि को बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपये भी कर दिया था। विज साहब से मैं यह जानना चाहूंगा कि 1996-97 में जो सरकार चौधरी बंसी लाल जी की थी उसमें वे भी उस सरकार में हिस्सेदार थे या नहीं थे? इन लोगों के समय में यह स्कीम डिस्कॉन्टिन्यू कर दी गई थी। आज विज साहब जिधर बैठे हैं उस समय हम वहीं बैठा करते थे और रोज हम वहां बैठकर मांग किया करते थे कि इस स्कीम को लागू करना चाहिए, तब यह स्कीम क्यों नहीं कंटीन्यू की गई? (विष्ण)

Mr. Speaker : Please let him finish. You will get the opportunity.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में भी विज साहब की पार्टी सरकार का हिस्सा थी और उससे पहले भी सरकार का हिस्सा रही तब तो इन्होंने यह स्कीम लागू नहीं की। हमारी सरकार ने उसके बाद डिसेंटरलाईजेशन स्कीम के तहत पैसा दिया जिसका मੈम्बर एक एम.एल.ए. होता है। यह स्कीम वर्ष 2007-2008 तक रही उसके बाद इस स्कीम का नाम बदलकर डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम रख दिया गया और वर्ष 2008-2009 में इस प्लान के तहत 100 करोड़ रुपये दिये गये उसके बाद वर्ष 2009-2010 में 278 करोड़ रुपये दिये गये और वर्ष 2010-2011 में 230.54 करोड़ रुपये दिये गये हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम के अन्दर वहां का एम.एल.ए. भी मੈम्बर होता है वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर उसके अन्दर आप अपनी बात रखेंगे तो सरकार उस बात पर विचार करेगी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, विज साहब ने जो सवाल किया है वह एक अहम सवाल है। इसके बारे में मेरा भी एक सुझाव है कि इस क्वेश्चन के लिए अलग से आधे घण्टे की बहस होनी चाहिए और सभी 90 के 90 एम.एल.एज. से उनके विचार लिए जायें।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, यह कोई सवाल नहीं है और सुझाव की भी बात नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, भैया मंत्री जी से एक अनुरोध है कि जिस प्रकार आज एम.पीज. को ग्रांट दी जाती है और दूसरे प्रदेशों में एम.एल.एज. को ग्रांट दी जाती है उसी प्रकार अपने एम.एल.एज. को भी ग्रांट दी जानी चाहिए। मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम की बात की है कि एम.एल.ए. उसका मੈम्बर होता है और एम.एल.ए. उस स्कीम के तहत अपने काम करवा सकता है। जिस प्रकार से मंत्री और मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो उनको ग्रांट देने का अधिकार होता है उसी प्रकार एम.एल.ए. को भी कुछ ग्रांट दी जानी चाहिए। आज लोग उसी को वी.आई.पी. समझते हैं जो कोई ग्रांट दे सकता है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा होगा कि पानी की तरह पैसा बहाया गया है। मेरा मंत्री जी से यही कहना है कि एम.एल.ए. को भी कोई स्पेशल ग्रांट दी जानी चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम में एम.एल.ए. मੈम्बर होता है वहां पर वह अपनी बात रख सकता है। इसके अलावा एच.आर.डी.एफ. के तहत अपने हल्के की मांग को लिख कर दे सकता है। इसके बाद पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी अपने हल्के की मांग को लिख कर दे सकता है। उनकी बात वहां पर अवश्य सुनी जायेगी और उनके काम को करवाने की लिए सरकार जरूर विचार करेगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि पिछली सरकार में यह स्कीम नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम बनाई गई है वहां पर एम.एल.ए. अपनी बात रख सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप किसी ओर ढंग से बोल रहे हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह कहा है कि एम.एल.ए. डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम का मेम्बर होता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में प्रजातंत्र है या तानाशाही सरकार, आज सत्ता मुख्यमंत्री और उपायुक्त के हाथ में सीमित होकर रह गई है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें मंत्री) श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में केवल प्रश्न ही किये जायें। सुझाव तो ये जीरो आधार में दे सकते हैं। जीरो ऑवर में कार्लिंग अटेंशन मोशन या एडजर्नमेंट मोशन पर कोई मुद्दा उठा सकते हैं। आपको इस बारे में काफी लजुबा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी मीटिंग में जाते हैं। जो हिस्सा आपके जिले में होता है यह सबको मिलता है इसलिए यह बात नहीं है कि नहीं मिलता है।। dis-agree on this issue. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस मामले पर half an hour डिस्कशन करवाएँ। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seat. Next question.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप बैठिए। I just tell you. Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पलवल में तो मुख्यमंत्री के कहने की जरूरत ही नहीं है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप बैठिए, यहां पलवल की बात नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) सतपाल सांगवान जी, आप अगला प्रश्न पूछें। (शोर एवं व्यवधान) I do not allow any more. This is a question hour. (noise and interruption) Please take your seat.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दूसरी सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप बैठें this is not the way. Please take your seat. सतपाल सांगवान जी, आप अगला प्रश्न पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दूसरी सप्लीमेंट्री पूछने का मौका नहीं दे रहे हैं जो मेरा राइट है। 6 महीने के बाद हाउस बुलाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय,। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय,। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय,। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप असेम्बली को असेम्बली समझो अखाड़ा न बनाओं। Please take your seat.

श्री कृष्णपाल गुर्जर :। (शोर एवं व्यवधान)

विजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : विज साहब, आप बड़ा शोर मचा रहे हैं इसलिए आप मेरी बात सुनिए। जवाब मंत्री जी ने दिया कि स्कीम को खत्म आपके जमाने में किया गया लेकिन फिर भी दूसरी स्कीम लागू की गई। (शोर एवं व्यवधान) मैं दूसरी बात जो कह रहा हूँ वह यह है कि कृष्ण पाल जी यहां खड़े हैं ये मेरी बात को सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अनिल विज जी उस सरकार का हिस्सा थे, कृष्णपाल जी खड़े हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उस स्कीम को खत्म करवाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय,। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय,। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, प्लीज आप बैठें। Please, take your seat. Let the House run. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सेकिण्ड सप्लीमेंटरी पूछने का चांस नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, no. Please take your seat.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात विज साहब से इस विषय में यह कहना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप सवाल का जवाब दें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात पर कह रहा हूँ कि कृष्ण पाल जी यहां खड़े हैं ये अपनी छाती पर हाथ रख कर कह दें कि मुख्यमंत्री जी भेदभाव बरत रहे हैं। ये जो भी मांगते हैं वहीं वह दे देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरी सप्लीमेंटरी पूछनी है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Vij Sahib this is not the way. विज साहब, यह आप क्या कर रहे हैं ? आप अपनी सीट पर क्यों नहीं जाते ? (शोर एवं व्यवधान) I am not going to allow you to speak. Go to your seat. Don't make it Akhara. कनाल हो गया यह तो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, लोकल एरिया डिवेलपमेंट फंड सरकार दोबारा से शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी दरखास्त की है कि प्रश्न काल चल रहा है जो कि बहुत ही अहमियत रखता है। रामपाल माजरा जी बड़े लजुर्बेकार हैं। इन्होंने अपने समय में बहुत जवाब दिए हैं, उस समय हम विपक्ष में होते थे। इन्हें प्रश्न काल की अहमियत को समझना चाहिए। ये हर बात पर खड़े हो जाते हैं। न तो स्वयं प्रश्न पूछते हैं और न ही दूसरों के प्रश्न का जवाब देने देते हैं। इनको चाहिए कि ये सवाल पूछें और मंत्री जी का जवाब सुनें ताकि कोई कन्सट्रक्टिव बात आये। सदन में हर सवाल का कन्सट्रक्टिव जवाब दिया जा रहा है लेकिन माजरा जी विधन डालने की कोशिश करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : सर, मुझे दूसरी सप्लीमेंटरी पूछनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I am on my legs. Please take your seat. (Interruption) Gurjar Sahib please take your seat.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी पहले हमारे सवाल का तो जवाब दें।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, लोकल एरिया डिप्लैमेंट (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seat. (Interruption). I am on my legs. Arora and Majra Ji, take your seat.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जवाब दे दूंगा जो बात ये कह रहे हैं वह बात पहले ये विपक्ष के नेता से कहलवायें। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने अपने समय में क्या कुछ कहा था वह मुझे याद है। (शोर एवं व्यवधान) ये अपने नेता से कहलवायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या हम इस सदन के सदस्य नहीं है और हमारे कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरी सप्लीमेंटरी पूछने का अवसर दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I would not allow anybody to speak like this. (Interruption) Please take your seat. I am on my legs. प्लीज, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

बाक - आउट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरी सप्लीमेंटरी नहीं पूछने दी जा रही इसलिए हम एज ए प्रोटेस्ट सदन से बाक - आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से बाक-आउट कर गये)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरासम्भ)

Repair of Roads in Charkhi Dadri

***229. Shri Satpal Sangwan :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that all the roads in Municipal Committee of Charkhi Dadri are in a very bad condition; if so, whether there is any proposal for the repair/construction of these roads in the near future ?

बिजली मन्त्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : हाँ, श्रीमान जी। नगरपालिका, चरखी-दादरी क्षेत्र में कुछ सड़कों की मरम्मत करना आवश्यक है। इन सड़कों की मरम्मत के लिए अनुमान तैयार कर लिये गये हैं तथा सड़कों की मरम्मत शीघ्र कर दी जायेगी।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि कुछ एस्टीमेट्स तैयार कर लिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बरसात होने के बाद हमारे चरखी दादरी शहर की सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। (शोर एवं व्यथधान) मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर कितनी जल्दी काम शुरू किया जायेगा ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन सड़कों का जिक्र किया है वह वाजिब हैं। केवल चरखी-दादरी में ही नहीं बल्कि बरसात के सीजन में जिन 5-6 जिलों में बाढ़ आ गई थी वहाँ सड़कों की हालत खराब है। इसके अलावा बाद में भी ईश्वर की बड़ी अनुकम्पा रही और हमारे प्रदेश में अच्छी बरसात हुई है इसलिए सड़कों का खराब होना स्वाभाविक है। यह स्थिति सारे हरियाणा प्रदेश में है और शहरों में सड़कें कुछ ज्यादा ही खराब हो गई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार इस विषय में सचेत है और इस सचेतता के कारण ही मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 60 करोड़ रुपये का बजट प्रोवीज़न एक तिमाही के लिए किया है। हालांकि बरसात में सड़कों का काम नहीं किया जा सकता लेकिन यह पैसा रिजर्व कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं डिटेल्ड जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2001 से 2005 तक के पांच वर्षों में स्थानीय निकायों के लिए कुल 168.89 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। जब वर्ष 2005 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार ने सत्ता सम्भाली उसके बाद वर्ष 2005-10 के दौरान 1106 करोड़ रुपये शहरों की सड़कों की मरम्मत और कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च किये गये। इसी प्रकार से अच्छी सड़कों की आवश्यकता को उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए वर्ष 2010-11 के लिए कारपोरेशन और म्युनिसिपल कमिटीज़ की सड़कों के रख-रखाव के उद्देश्य हेतु 505 करोड़ रुपये का प्रोवीज़न किया गया है। स्पीकर सर, इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गतिशील नेतृत्व में हम इस संबंध में अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः सजग हैं और हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार सड़कों की उच्च गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से हमें आदेश दिये हैं कि बरसात के मौसम के बाद सड़कों की मरम्मत के कार्य को टॉप प्रायोरिटी पर तुरंत प्रभाव से किया जाये और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की जल्दी से जल्दी अनुपालना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्पीकर सर, इसके साथ मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इनके हल्के चरखी दादरी की 92 सड़कों को मरम्मत के लिए आईडेंटिफाई किया गया है जिन्हें हम जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री इनके हल्के का पूर्ण रूप से ध्यान रखने के लिए कृतसंकल्प हैं।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मेरे हल्के की सड़कों की मुरम्मत की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी को ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए भी विशेष कार्य योजना बनानी चाहिये क्योंकि जब तक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अस्तित्व में नहीं आयेगा तब तक सड़कों की हालत में स्थायी तौर पर कोई विशेष सुधार नहीं हो पायेगा क्योंकि सही ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण बरसात के दिनों में सड़कों के ऊपर एक-एक फुट तक पानी खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि सड़कों की मुरम्मत के साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर भी ध्यान दें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ड्रेनेज का प्वायंट उठाया है यह बिल्कुल जायज़ है क्योंकि विशेष तौर पर तो तारकोल की सड़कें होती हैं अगर उन पर थोड़ी देर के लिए भी पानी ठहर जाये तो वे लुरन्त टूट जाती हैं। हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में सीवरेज सिस्टम को बुस्त-दुरुस्त करने के बारे में पूर्णतः सजग है। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की राजीव गांधी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत की गई विभिन्न स्कीमों के तहत निगमों और कमेटीज़ को धन का आबंटन करते हैं। इसके अलावा जिन योजनाओं में स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जो कि कहीं 60 : 40 की रेशो में होता है और कहीं 80 : 20 की रेशो में होता है वह भी प्रदेश के निगमों और कमेटीज़ को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिया जाता है। इस सभके पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि हम सड़कों के साथ-साथ नालियों और सीवरेज सिस्टम को भी पूरे तौर पर स्ट्रेंथन करें ताकि पानी खड़ा होने के कारण सड़कें जल्दी न टूटें और इस वजह से सड़कों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। मैं यह मानता हूँ कि क्वालिटी को मेन्टेन रखा जाये इसलिए हमारी सरकार की तरफ से सड़कों के निर्माण और मुरम्मत में यूज़ होने वाले मैटीरियल की क्वालिटी की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके साथ-साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी इस ओर सचेत रहें कि सड़कों की मुरम्मत और निर्माण के समय सही क्वालिटी का मैटीरियल यूज़ किया जाये और जहाँ पर कोई कमी पाई जाये उसे सरकार के ध्यान में लाया जाये। अब मैं हमारे से पहले वाली सरकार द्वारा इस मामले में किये गये खर्च और हमारी सरकार द्वारा इस मद पर किये गये खर्च की तुलना पर आना चाहता हूँ। स्पीकर सर, पिछली सरकार के समय में चरखी दादरी में सड़कों की मुरम्मत और निर्माण पर लगभग 168 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। हमारी सरकार के पिछले शासन काल के दौरान 2005 से 2009 तक इस क्षेत्र में 1106 करोड़ रुपये इस मद के तहत खर्च हुए हैं। इसके विपरीत अगर हम 2001 के बाद इस क्षेत्र में इस मद पर खर्च का ब्यौरा देखें तो इस मद पर किसी साल में 68 लाख, किसी साल में 56 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 5 लाख और कहीं 95 लाख रुपये से ज्यादा पैसा शहरों की सड़कों की मुरम्मत के लिए नहीं दिया गया था लेकिन हमारी सरकार के समय में 2005-06 में 134 लाख, 2007-08 में 212 लाख, वर्ष 2008-09 में 394 लाख और वर्ष 2009-10 में 249 लाख रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार से अगर हम पिछली सरकार के शासन काल में चरखी-दादरी की सड़कों की मुरम्मत के लिए आबंटित किये गये धन को देखें तो हमारी सरकार के शासन काल में वह तीन-तीन गुणा ज्यादा आबंटित किया गया है। इस क्वार्टर के दौरान हम इस मद के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़कों की मुरम्मत के लिए अभी तक 60 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं लेकिन बरसात के मौसम के बाद जहाँ पर सड़कों की रिपेयर की जरूरत है उसके लिए धन को निर्धारित शेयर के मुताबिक बांटकर हम सड़कों की मुरम्मत के कार्य को पूर्ण करेंगे।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो दादरी के बारे में पूछा गया था लेकिन इन्होंने पूरे स्टेट का ही जवाब दे दिया है। मेरा सतपाल सांगवान जी से बहुत स्नेह है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दादरी के बारे में ही पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने चरखी दादरी के लिए किलने के ऐस्टीमेट्स तैयार किये हैं टोटल कितने रुपये के ऐस्टीमेट बने हैं तथा इसके लिए जो टैंडर किये जाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है ? ये टैंडर इनवाईट करते हैं और कमेटीज में जा कर अपने चहेतों को टैंडर दे देते हैं। स्वीकर सर, दादरी की सड़कों की हालत बहुत खस्ता है और इसी प्रकार से राव मरेन्द्र जी भी मुझे कह रहे थे कि नारनौल की सड़कें भी टूटी पड़ी हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, टैंडर की प्रक्रिया के अनुसार टैंडर जब ओपन होते हैं तो जो लोअस्ट टैंडर होता है उसको ही टैंडर दिया जाता है। जहां तक आपने ऐस्टीमेट्स की बात की है वर्ष 2005-2006 से लेकर 2009-2010 तक 195 सड़क और गलियां बनी थी जिस पर चरखी दादरी में तकरीबन 514 लाख रुपये खर्च हुए थे। अब चरखी दादरी में तकरीबन 92 सड़कों की मुरम्मत की आवश्यकता है तथा इस काम के लिए 528 लाख रुपये के ऐस्टीमेट्स भेजे गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ में क्या दादरी शहर का विकास हो जायेगा ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य की सरकार थी उस समय में तो 60-60 लाख रुपये में सड़कें पक्की हो जाया करती थी तो क्या 5 करोड़ रुपये में नहीं होंगी। पहले के 60 लाख रुपये के मुकाबले इस बार 5 करोड़ रुपये का प्रावधान में समझता हूँ कि बहुत काफी है। हालांकि यह सही है कि गांवों और शहरों के विकास के लिए जितना भी पैसा दे दिया जाये, कम है। सरकार के गांवों और शहरों के विकास के सन्तुलन को बनाये रखने की पूरी कोशिश की है। गांवों के विकास के साथ-साथ शहरों के विकास के लिए भी पर्याप्त धन दिया जा रहा है। इसमें शहरों के लिए एक प्रोजेक्शन और किया गया है कि बेट पर जो 5 परसेंट सरचार्ज लगाया गया है उससे तकरीबन 300 करोड़ रुपये आयेंगे जो कमेटीज को ही दिये जायेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक़्त में हम सड़कों की मुरम्मत का काम पूरा कर देंगे।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो पैसा दिया जा रहा है वह कहाँ जा रहा है ? आप पैसा तो दे रहे हैं लेकिन काम तो नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे होडल शहर में चल कर देख लीजिए मैं आपकी मेहमानी भी करूंगा और आपको दावत भी दूंगा। हमारे शहर में एक-एक फुट पानी खड़ा है। माननीय स्थानीय निकाय मंत्री जी मेरे जिले से ही हैं। ये कहीं भी बैंक करवा लें काम कहीं पर भी नहीं हो रहा है। आप अपने कर्मचारियों को सुधारें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, बरसात में पानी नहीं निकल पाता उससे सड़कें और गलियां टूट जाती हैं। माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे लिख कर भिजवा दें हम उसको इन्जामिन करवा लेंगे। जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर हम पूरा पैसा देंगे। हम सबका बंटवारा करके पैसा देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Next supplementary.

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, हमारे इनेलो वाले साथी हमारे सवालियों पर सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं लेकिन जब इनके प्रश्न लगते हैं तो ये सारे के सारे बाहर भाग जाते हैं। मुझे यह सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे के सारे अब हाजिर हो गये हैं और जब इनके प्रश्न लगते हैं तो ये मायब हो जाते हैं।

श्री भारत भूषण बतारा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे सभी शहरों में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको किस हिसाब से सुचारु रूप से चलाया जाये, इस बारे में क्या सरकार कोई कंसर्टिड प्लान कर रही है या नहीं कर रही है ? मैं सभी शहरों के बारे में पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे इनेलो के साथी ज्यादा बोल रहे हैं लेकिन इसमें सभी दोषी हैं। यह केवल सरकार का ही दोष नहीं है बल्कि इसमें नागरिक भी दोषी हैं। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या कोई कंसर्टिड प्लान, स्वीपर वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट करके, क्या कोई ऐसी रकीम है जिससे हमारे शहर साफ सुथरे बनें ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है इसके लिए सरकार की प्लान है कि जहां पर म्यूनिसिपल कमेट्रीज़ में सरकारी सफाई कर्मचारियों की कमी है हम वहां पर सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिज़ पर रख लेते हैं। इसके अलावा जहां पर भी सफाई का काम होता है तो उसकी कुलैक्शन के लिए कई जगहों पर एसोसिएशंस को भी शामिल किया गया है। जहां पर सोलेड वेस्ट की व्यवस्था नहीं है वहां पर वे सफाई कर्मचारी कुड़ा उठाकर ले जाते हैं और प्रोपर जगह पर डालते हैं। सर, 8-9 कमेट्रीज़ में 2-2 कमेट्रीज़ को मिलाकर सोलेड वेस्ट की योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के शेरर के अनुसार चालू की गयी हैं। कहीं पर इस योजना का 90 प्रतिशत, कहीं पर 70 प्रतिशत और कहीं पर 30 प्रतिशत तक काम हो चुका है। हम इस योजना को इसका कार्य पूरा होने के बाद दूसरी जगहों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। सफाई व्यवस्था एक सुव्यवस्थित विकास के लिए जरूरी है। अगर सफाई का काम और ड्रेनेज सिस्टम मजबूत नहीं है तो विकास वहीं पर खत्म हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस योजना को और एक्सपैंड करें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सफाई का सवाल है हरियाणा सरकार इस बारे में पूरी तरह से सचेत है। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने एक कलम से 11000 सफाई कर्मचारियों को गांवों में सफाई के लिए लगाया है ताकि हमारे गांव भी साफ-सुथरे रहें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सारे हरियाणा के बारे में विस्तृत उत्तर दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जहां पर म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव हो गए हैं वहां पर चुने हुये प्रतिनिधि फैसला करेंगे कि कौन सी सड़क, गली या नाली बननी है और कौन सी नहीं बननी है। जिन 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशंस के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं और निकट भविष्य में होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं वहां पर डिप्टी कमिशनर को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, उन कारपोरेशंस में इनकी काम करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या उसमें चुने हुए जो नुमाएंदे जैसे विधायक हैं उनकी भी उसमें कोई भूमिका तय कर रखी है ? वहां पर कौन निर्णय लेगा कि वहां पर कौन सी सड़क, गली या नाली बननी है। क्या वहां पर सारी पॉवर डिप्टी कमिशनर को ही दे रखी है ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. की भूमिका के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह कहना चाहूंगा कि अनिल विज जी आप तो काबिल ब्यक्ति हैं और आपको पता भी है कि एम.एल.ए. की भूमिका अपने क्षेत्र के लिये बहुत ही व्यापक है। Deputy Commissioner is for Administration, वह कार्यपालिका है। (विघ्न)

Shri Anil Vij : Speaker Sir

Mr. Speaker : Vij Sahib, this is the difficulty with you. You are always in high speed. (Noise and Interruption). Please take your seat. (Noise and Interruption).

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल किया है पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या भंशा है। जहां इलेक्ट्रिक बॉडी है वहां पर एम.एल.ए. की राय और उनके सुझाव लिए जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो कारपोरेशंस बनाई गई हैं तो क्या वहां पर इनकी कोई सलाह नहीं ली जाती है ? मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप सलाह देने लायक बनें और काम करें। सर, इनका यह कहना कि कई म्यूनिसिपल कारपोरेशंस में इलेक्शन नहीं हो सके हैं तो उसके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी वहां पर भी इलेक्शन करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, वहां पर कुछ वार्ड बन्दियां, कुछ एरिया, कुछ गांव और वोटर लिस्ट इस तरह मिल गए हैं जिनको ठीक करना आवश्यक है। सर, जब तक यह काम पूरा नहीं होता तब तक डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी उस काम को तालमेल के साथ करती रहेगी। सर, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि जहां पर इलेक्शन नहीं हुए हैं वहां पर जो प्रक्रिया रह गई है उसको पूरा करके जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएंगे।

Repair of Roads in Narnaul

*233. **Rao Narender Singh :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

- whether it is a fact that roads of Narnaul Town are badly damaged; and
- if so; whether there is any proposal under consideration to repair the said roads ?

बिजली मन्त्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

- हां, श्रीमान जी। माह अगस्त, 2010 में भारी वर्षा के कारण नारनौल कस्बे की 26 सड़कें क्षति-ग्रस्त हो गई थी।
- इन सड़कों की मरम्मत के लिए अनुमान तैयार कर लिये गये हैं तथा सड़कों की मरम्मत शीघ्र कर दी जायेगी।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए बजट में प्रोविजन है ? यह जो 26 क्षतिग्रस्त सड़कें नारनौल शहर की बतायी गयी हैं इन पर लगभग कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, 26 सड़कों के लिए 203.10 लाख रुपये लागत के अनुमान तैयार किए गए हैं। 2004-05 में टोटल 160 लाख रुपये खर्च गए थे, 2005-06 में 313 लाख रुपये दिये गये, 2006-07 में 208 लाख रुपये दिए गए 2008-09 में 3 करोड़ 71 लाख रुपये दिए गए और 2009-10 में एक करोड़ 94 लाख रुपये दिए गए और अब जो टैण्डर तैयार किए गए हैं उनके मुताबिक 203 लाख रुपये के ऐस्टीमेट्स वहां पर खर्च किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय ये निश्चित रहें क्योंकि जब पिछले साल के मुकाबले 505 करोड़ रुपये का बजट प्रोविजन ज्यादा रखा गया है तो इनका शेयर भी पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा ही होगा। इसको हम पूरा करेंगे।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, वैसे तो मंत्री जी ने अपने जवाब में पूरी जानकारी दे दी है लेकिन मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने पढ़कर बताया तो उसका टोटल इस तरह से बैठता है। 1999-2000 से लेकर 2004-05 तक जब आई.एन.एल.डी. और बी.जे.पी. की सरकार थी तो उस समय नारनील नगरपालिका को इनके साढ़े पांच साल के अर्से में केवल 301 लाख 95 हजार रुपये की राशि दी गई थी जबकि 2005-06 से लेकर 2010-11 के दौरान 1204 लाख 84 हजार रुपये की राशि उस नगरपालिका के द्वारा दी गयी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि आप हाउस के सभी सदस्यों की समान हिसाब-किताब से बात सुनें। अगर कोई इधर से बोलते हैं तो आप कमेंट्स करना शुरू कर देते हो और धमकाना शुरू कर देते हो।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, यह बात नहीं है कि जब आपकी तरफ से बोलते हैं तभी मैं कुछ कहता हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जब उनकी तरफ से बोलते हैं तो आप उनको छूट कैसे दे देते हो ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, जब उधर से भी एक बीबी बोली थी तो मैंने उसको भी बोलने से मना कर दिया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, कई और मैम्बरज बोल रहे हैं, उनको भी आप बन्द करें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरी तरफ से यह बाल नहीं आएगी कि इनको ज्यादा या उनको कम। यह बात मैं मानने वाला नहीं हूँ। आप अपने मैम्बरज की सप्लीमेंट्री गिन लो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके मैम्बरज को ज्यादा टाईम दिया गया है या नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गिनने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाँ, आप देख लो जितनी सप्लीमेंट्री आपके मैम्बरज करते हैं उतनी उधर वाले मैम्बरज नहीं करते हैं। (विघ्न) मैं तो अपनी जिम्मेवारी को समझता हूँ। जितनी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ अगर उतनी जिम्मेवारी आपके लोग भी समझें और ये लोग भी समझें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपने भी गरिमा को नहीं समझा है। जितना मैंने मान सम्मान दिया है उतना आपने नहीं दिया है इसलिए आप यह बात छोड़ो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं इसलिए आप सबका बराबर ध्यान रखें। जब एक मंत्री ने अपना जवाब दे दिया है तो फिर उसके बाद दूसरे मंत्री को बोलने का क्या अधिकार है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप यह बात छोड़ो कि मैं गरिमा छोड़ता हूँ। गरिमा तो आप भी छोड़ते हो। अब आप यहां पर जो कुछ बोल रहे हैं क्या यह गरिमा के बीच में बोल रहे हैं ? मैं तो आपको बड़ा भाई समझता हूँ लेकिन आप बड़े भाई होते हुए भी ऐसी बात करते हैं। मैं आपकी इज्जत इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं और आप सीनियर मोस्ट भी हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members now question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Bus Depot and Sub-Depot of Haryana Roadways

*242 Sh. Aaftab Ahmed }
Sh. Naseem Ahmed } : Will the Transport Minister be pleased to
state—

- whether there is any proposal under consideration of the government to meet the long pending demand to create separate Bus Depot, Nuh at Mewat and Sub-Depot at Ferozpur Jhirka; and
- the number of Haryana Roadways buses plying in Mewat District on different routes ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) :

- नहीं श्रीमानजी,
- हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा मेवात जिले में 31 भिन्न-भिन्न मार्गों पर 62 बसें चलाई जा रही हैं।

Repair of Dabwali-Sangria Road

*241 Sh. Abhay Singh Chautala : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state-

- when the Dabwali-Sangria road was repaired;
- whether the repair work of the above said road is to be done by the Haryana Government or by any other agency; and
- the time by which the above said road is likely to be repaired ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :

- डबवाली संगरिया सड़क 31.25 कि.मी. है जिसमें कि.मी. 2.15 से कि.मी. 31.52 तक की सड़क पर 20 मि. मीटर मोटी प्रीमिक्स कारपेट का कार्य सितम्बर, 2005 से अप्रैल, 2006 में हुआ है तथा शेष कि.मी. 0 से 2.15 कि.मी. का चार-मार्गीय करने का कार्य फरवरी, 2007 में किया गया था।
- उपरोक्त सड़क मरम्मत का कार्य हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़कें शाखा) द्वारा करवाया जाना है।
- मुख्य मरम्मत बारे मामला विधाराधीन है। यद्यपि पैच कार्य व गड्ढे भरने का कार्य 31 अक्टूबर, 2010 तक कर दिया जायेगा।

Digging out the Saraswati River

*262. Sh. Ashok Kumar Arora : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to dig out the Saraswati river from Pipli to Jyotisar; if so, the time by which the work is likely to be started thereon ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : हां श्रीमान जी, सरस्वती नदी की खुदाई की योजना पर कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के विभिन्न सेक्टरों एवं कुरुक्षेत्र शहर से मलजल के निपटान हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारा अलग चैनल के निर्माण उपरान्त आरम्भ कर दिया जायेगा।

Supply of Water up to the Tails

*282. **Rao Bahadur Singh** : Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the canal water is not reaching up to the tail in Nangal Chaudhary Constituency;
- (b) if so, the steps being taken by the Government for supplying the canal water up to the tail; and
- (c) the time by which the damaged canals are likely to be repaired in Nangal Chaudhary Constituency ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

- (क) हां श्रीमान जी।
- (ख) नहरों तथा महेन्द्रगढ़ नहर प्रणाली के पम्पों की क्षमता बहाली का कार्य किया जा रहा है। महेन्द्रगढ़ नहर प्रणाली के पम्पों की उठान क्षमता को बढ़ाने हेतु नाबार्ड ऋण के साथ 1526 लाख रुपये की लागत की एक परियोजना अगस्त, 2009 में स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य चरणों में किया जा रहा है तथा 31-3-2012 तक पूरा कर लिया जायेगा।
- (ग) नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र में क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत 30-6-2011 तक कर दी जायेगी।

Lease / Allotment of Land by HUDA

*256. **Sh. Ajay Singh Chautala** } : Will the Chief Minister be pleased
Sh. Krishan Pal Gurjar }
to state—

- (a) whether it is a fact that the Haryana Urban Development Authority has leased out /allotted prime land in Sector-29, 52 etc. of Gurgaon, during the period from 31-3-2009 to 31-7-2010, for setting up amusement parks to a private party; if so, the procedure adopted to allot the said land;
- (b) the name(s) of the company, partner, proprietor(s) to whom the land as at (a) above has been allotted;
- (c) the term and conditions for allotment of the Land as at (a) above and
- (d) detail of the representation(s) if any, received by the State Govt. authorities from any resident or federation regarding the allotment of land as at (a) above along with the action taken thereon ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

- (क) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा गुडगांव में मनोरंजन पार्क स्थापित करने के लिए 58 एकड़ क्षेत्र (सेक्टर 29 में 25 एकड़ तथा सेक्टर 52ए में 33 एकड़) पट्टे पर देने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में सेक्टर 52ए में पड़ने वाली कुल 33 एकड़ भूमि में से 16 एकड़ भूमि विवादित (अधिग्रहण के कारण) है और यह भूमि परियोजना में शामिल कर ली जाएगी यदि परियोजना की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर भारमुक्त हो जाती है। मनोरंजन पार्क की स्थापना की प्रस्तावना के लिए मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर मांगी गई प्रार्थना पत्रों द्वारा पारदर्शक प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टेदार का चयन किया गया है।
- (ख) पट्टे पर भूमि देने के लिये चयनित कम्पनी का नाम मैसर्स इन्टरनेशनल एन्व्यूजमेंट लिमिटेड नोएडा है।
- (ग) भूमि पट्टे पर देने की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :-
1. परियोजना 33 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी तथा अगले 33 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि के बाद भूमि पूर्ण संरचना सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस हो जाएगी।
 2. चयनित कम्पनी द्वारा 42 एकड़ भूमि के लिए प्रस्तावित 94.50 करोड़ रुपये (रुपये चौरानवे करोड़ पचास लाख केवल) का वित्तीय निवेश स्वीकृत किया गया है। 16 एकड़ विवादित भूमि (जो कि मुकदमेबाजी में है) की गणना 42 एकड़ भूमि के लिए प्रस्तावित निवेश के अनुपात के आधार पर होगी इस आधार पर 58 एकड़ भूमि की कुल निवेश राशि 130.50 करोड़ रुपये होगी।
 3. भूमि के अधिमूल्य का भुगतान निम्न प्रकार होगा :-
 - (i) 42 एकड़ भूमि की 25 प्रतिशत राशि व 16 एकड़ भूमि की (जोकि वर्तमान में मुकदमेबाजी में है) 10 प्रतिशत अनुपातिक कीमत सहित आशय पत्र के 30 दिन के अन्दर देय होगी।
 - (ii) बकाया 75 प्रतिशत एकमुश्त राशि बिना ब्याज के आशय पत्र से 60 दिन के अन्दर या 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित बराबर पांच वार्षिक किस्तों में देय होगी तथापि, ब्याज कब्जा देने की तिथि से लिया जाएगा।
 - (iii) अधिमूल्य का विलम्ब से भुगतान करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से या समय समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ब्याज शुल्क लिया जाएगा तथापि, किस्त के भुगतान में विलम्ब केवल छः महीने की अवधि के लिए होगा उसके बाद करार खत्म करने का अधिकार हरियाणा शहरी

विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित होगा। करार खत्म होने की दशा में भूमि संरचना सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस होगी जिसके लिए सफल निवेशक कोई भी दावा नहीं कर सकेगा।

- (iv) 16 एकड़ भूमि की 10 प्रतिशत अनुपातिक मूल्य आशय पत्र से 30 दिन के अन्दर देय होगी तथा बकाया 90 प्रतिशत अनुपातिक मूल्य 12 प्रतिशत वार्षिक दर ब्याज सहित (वार्षिक मिश्रण) देय होगी, जब भूमि सभी प्रकार के मुकदमों/भार से मुक्त होगी। अनुपातिक मूल्य का अर्थ आज चयनित कम्पनी द्वारा प्रस्तावित प्रति एकड़ मूल्य है। भूमि सभी प्रकार के मुकदमों/भार से मुक्त न होने की दशा में 10 प्रतिशत राशि बिना ब्याज के परियोजना के आशय पत्र की तिथि से पांच वर्ष के बाद वापिस कर दी जाएगी या कम्पनी के बकाया के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी।
4. अधिमूल्य के अतिरिक्त, चयनित कम्पनी वार्षिक भूमि किराया भी देगी जो कि पहले 33 वर्षों के लिए अधिमूल्य का 2.5 प्रतिशत होगा तथा अगले 33 वर्षों के लिए बढ़ कर अधिमूल्य का 3.75 प्रतिशत हो जाएगा।
 5. चयनित कम्पनी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ करार करते समय मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम 10.00 करोड़ रुपये की (भारतीय दस करोड़ रुपये) भारत के अनुसूचित बैंक से अपरिवर्तनीय बैंक प्रत्याभू के रूप में जमानत के तौर पर देगी जोकि पंचकूला चण्डीगढ़ में देय होगी यह अपरिवर्तनीय बैंक प्रत्याभू परियोजना के पूर्ण होने तक मान्य होगी।
 6. चयनित कम्पनी परियोजना में कम से कम 100 करोड़ रुपये इसके द्वारा तकनीकी प्रस्तावना में प्रस्तावित राशि व्यय करेगी जिसके लिए कम्पनी उत्तरदायित्व सहित परियोजना का विस्तृत ब्रेकअप मुहैया करवायेगी।
 7. सफल निवेशक कब्जा देने की तिथि से दो साल के भीतर परियोजना की कम से कम 80 प्रतिशत लागत का निवेश करेगा जिसके लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स फर्म जिसमें चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की संस्था के कम से कम दो सदस्य हों, से प्रमाण पत्र जुटाएगा।
 8. निर्माण अनुमोदित कटिबन्ध प्लान/हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (भवनों का निर्माण) विनियम, 1979 (समय समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाने उपरान्त करना होगा।
 9. पट्टेदार निर्माण/कार्यान्वयन से पहले मनोरंजन पार्क में गतिविधियां चलाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से विशेष स्वीकृति लेगा जो कि आर.एफ.पी. में प्रदान किए गये काम के अवसर से अधिक नहीं होगा।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

10. पट्टेदार सभी सक्षम अधिकारियों से अधिदेय कानूनी स्वीकृति प्राप्त करेगा तथा कब्जा देने की तिथि से छः महीने के अन्दर परियोजना के मबन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. अनुमोदित कटिबन्ध प्लान में अनुज्ञेय को छोड़कर कोई भी रिहायशी प्रयोग मान्य नहीं होगा।
12. पार्किंग तथा हरित/खुले स्थानों का भी रख-रखाव पट्टेदार द्वारा किया जाएगा।
13. परिसर में अप्रिय/खतरनाक व्यवसाय/गतिविधियां चलाभा मान्य नहीं होगा।
14. पट्टेदार मनोरंजन पार्क में आयुक्तों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा सम्बन्धित कानूनों में दिए गये सभी प्रचलित सुरक्षा मानदण्ड/मानकों की पालना करेगा।
15. पट्टेदार मनोरंजन पार्क चलाने के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित विभागों से स्वीकृति लेने के लिए जिम्मेदार होगा तथा मनोरंजन कर/थैट/सेवा कर इत्यादि या राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी नए अनिवार्य कर अदा करेगा।
16. पट्टेदार परियोजना कार्यान्वित के लिए सभी सुरक्षा/पर्यावरण मानकों की पालना अपनी लागत पर करेगा।
17. पट्टेदार दोनों स्थलों को जोड़ने के लिए समर्पित पर्यावरण मैत्री यातायात अपनी लागत पर मुहैया करवाएगा।
18. पट्टेदार पट्टे की कुल अवधि के लिए परियोजना को पूर्ण तथा व्यापक सुरक्षित अपनी लागत पर कराएगा।
19. पट्टेदार स्थल के किसी भाग को अथवा गतिविधि को तीसरे दल को किराये पर नहीं देगा।
20. पट्टेदार कम्पनी के संविधान में परिवर्तन मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला की अनुमति के बगैर नहीं करेगा तथापि मूल पट्टेदार कम्पनी में हमेशा मुख्य हिस्सेदार रहेगा और कम्पनी में 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखेगा। परन्तु कम्पनी के संविधान में उपरोक्त परिवर्तन से हरियाणा शहरी प्राधिकरण के अधिकार तथा विशेषाधिकार किसी भी स्तर में प्रभावित नहीं होने चाहिए।
21. पट्टेदार अपने आप परियोजना को स्थाई रूप से या पट्टे की अवधि खत्म होने से पहले समाप्त करने की दशा में वह पूर्ण परियोजना संरचना सहित हरियाणा

शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस करेगा तथा पट्टेदार को इसके एवज में कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

22. प्राकृतिक आपदाओं या किसी दूसरी अपरिहार्य घटनाओं के कारण पट्टे की अवधि खत्म होने से पहले मनोरंजन पार्क के कार्य में अड़चन आने तथा यदि एक वर्ष से अधिक कार्य बंग होने की दशा में सारी परियोजना संरचना सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस होगी तथा पट्टेदार को इसके एवज में कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

23. पट्टा दस्तावेज की शर्तों की अवहेलना की दशा में पट्टा दस्तावेज खारिज होंगे। पट्टा खारिज होने पर भूमि संरचना सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस होगी पट्टेदार उस पर कोई भी दावा नहीं कर सकेगा तथापि पट्टा खारिज करने से पहले प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुडगांव इस सम्बन्ध में कम से कम 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। पट्टा दस्तावेज के खारिज होने की दशा में, पट्टेदार प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुडगांव के पट्टा खारिज करने के आदेश के विरुद्ध एक महीने के अन्दर मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सामने अपील दायर कर सकेगा।

24. सभी विवादों या भेदों को मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला के विवाचनकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने प्रस्तुत करेगा जिसका निर्णय मामले में आखिरी तथा दोनों दलों को मानना होगा।

(घ) फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन तथा गुडगांव सिटीजन काउंसिल से दिनांक 9-8-2010 को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

Loss to Life & Property and Crops due to Floods

*251. **Dr. Ashok Kashyap :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the crops of the farmers are being damaged and the loss is being caused to life and property due to floods during the rainy season every year in the village Chogama, Hansu Majra, Chandrao, Kharak, Burj, Garhi Birbal, Tapu, Labkari And Mussepur etc. of Indri constituency situated on the bank of the Yamuna river; and
- (b) if so, whether there is any scheme under consideration of the government to solve the above said problem togetherwith the time by which the above said scheme is likely to be implemented ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

- (क) हां श्रीमान जी, जब भी यमुना नदी में 2 लाख व्यक्ति से अधिक की उच्च बाढ़ होती है तब बाढ़ का पानी यमुना नदी से बह कर इन गांवों की ओर आ जाता है और कुछ क्षति पहुंचाता है। यमुना नदी में जब बाढ़ का प्रभाव कम हो जाता है तब इन गांवों का वही पानी दोबारा यमुना नदी में चला जाता है।
- (ख) उपरोक्त गांवों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। यद्यपि सामान्य बाढ़ बचाव के तरीके अपनाये जा रहे हैं।

अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर

Number of sanctioned Posts

26. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Education Minister be pleased to state—

- (a) the total number of sanctioned posts in Government Post Graduate College, Jind; and
- (b) the time by which vacant posts are likely to be filled up in the abovesaid college ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) : श्रीमान जी।

(क) वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) हरियाणा के सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 497 रिक्त पदों को भरने हेतु मांग पहले ही कार्यालय के पत्र क्रमांक के.डब्ल्यू. 8/36-2006 सी-01(2), दिनांक 28-10-2009 के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। रिक्त पदों पर नियुक्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग से सिफारिशें प्राप्त होने उपरान्त कर दी जायेगी। लिपिक वर्गीय पदों को भरने सम्बन्धी मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से सिफारिशें प्राप्त होने पर रिक्तियां भर दी जाएंगी। राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य को पत्र क्रमांक 6/8-2005 एम.ई.(4), दिनांक 18-9-2007 के तहत चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों को अपने स्तर पर भरने वाले निर्देश दिये जा चुके हैं।

वरिष्ठ पुरस्कालयाध्यक्ष, कनिष्ठ पुरस्कालयाध्यक्ष व पुनः स्थापकों के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने सम्बन्धी मामला प्रक्रियाधीन है। पुरस्कालय स्टाफ की रिक्तियों को भरने सम्बन्धी प्रक्रिया नियमों में संशोधन उपरान्त ही आरम्भ की जा सकती है।

वक्तव्य

क्रमांक नं०	पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4
1.	प्राचार्य	1	शून्य
2.	प्राध्यापक	106	22
3.	उप अधीक्षक	1	शून्य
4.	सहायक	1	शून्य
5.	लिपिक	4	2
6.	आशुलिपिक	1	1
7.	वरिष्ठ प्राध्यापक सहायक	2	2
8.	कनिष्ठ प्राध्यापक सहायक	8	शून्य
9.	टंकण प्रशिक्षक	1	शून्य
10.	प्रयोगशाला परिचर	14	3
11.	तकनीकी सहायक	1	शून्य
12.	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	1	शून्य
13.	कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	2	1
14.	पुनः स्थापक	3	2
15.	पुस्तकालय परिचर	3	2
16.	दपत्तरी	1	1
17.	सुख सहायक	5	2
18.	भाली	2	शून्य
19.	सफाई कर्मचारी	3	1
20.	चौकीदार	3	शून्य
21.	प्राणी संग्रहकर्ता	1	1
22.	माली कम चौकीदार	1	शून्य
23.	सफाई कम चौकीदार	1	शून्य

Roads constructed by HSAMB

29. Shri Ram Pal Majra : Will the Agriculture Minister be pleased to state---

- the kilometers of roads constructed by the the Haryana State Agricultural Marketing Board from March, 2005 till-to-date; and
- the districtwise details of the roads constructed togetherwith the names of villages and the distance in kilometers thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) सड़कों की लम्बाई 2668.48 कि.मी. है।

(ख) निर्मित की गई सड़कों की जिलावार ध्यौरा तथा दूरी निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	जिले का नाम	सड़कों की संख्या	निर्मित सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	अम्बाला	52	107.35
2.	भिवानी	87	268.80
3.	फरीदाबाद	08	17.15
4.	फतेहाबाद	46	160.15
5.	गुडगांध	05	9.34
6.	हिसार	34	130.95
7.	झज्जर	127	420.13
8.	जीन्द	48	171.40
9.	कैथल	65	217.38
10.	करनाल	49	125.35
11.	कुरुक्षेत्र	54	116.82
12.	मेवात	20	42.92
13.	महेन्द्रगढ़	11	17.07
14.	पलवल	11	24.91
15.	पानीपत	28	62.63
16.	पंचकूला	6	6.74
17.	रिवाड़ी	32	74.54
18.	रोहतक	79	277.74
19.	सिरसा	70	199.37
20.	सोनीपत	37	99.82
21.	यमुनानगर	66	117.92
कुल		935	2668.48

उपरोक्त सड़कों के निर्माण करने से 1687 गांवों को जोड़ा गया (विवरण अनुबन्ध - क)

अनुबन्ध - क

जिलावार सड़कों से जोड़े गये गांवों की संख्या एवं नाम

क्रमांक	जिला	गांवों की संख्या	गांवों के नाम
1	2	3	4
1.	अम्बाला	80	भूनी, भूरांगपुर, खन्ना माजरा, फिलखनी, कपूरी, जंसूआ, खेड़ा, अमीनपुर, हिमाशुपुर, मटेड़ी शेखों, दुखेड़ी, चुड़ियाली, घुशाला, भिटा, नगोली, पीर माजरी, कुलरपुर, हुसैनी, मुखेड़ी, लालपुर, दिनारपुर, लांधा, महताबगढ़, दिनारपुर, जैश राम नगर, कोनकपुर, गोलपुर, मोहड़ी, अडो माजरा, हरिपुर घसीटपुर, सद्दोपुर, मानकपुर, मलोर, बकनौर, कुरबानपुर, मस्तपुर, बरोली, बारागांधा, कौरवा, नागल घरोली, मंडौर, गरनाला, जनेतपुर, टोवा, फिलखनी, खरुखेड़ा समलेहड़ी, गगनहेड़ी, महुआखेड़ी, साहा, गोकलगढ़, खेड़ा, बराडा, होली, शम्बड़, सलीमपुर, सोनटा, इस्माईलाबाद, भीरपुर, बिसनगढ़ कालोनी, कोट कचुआ, शाहपुर, नारायणगढ़ माजरा, लंगर छानी, उपलाना, नुर्द, ठरवा, काकड़ माजरा, मेल खुर्द, जयालपुर बस्ती, सुलतानपुर, खान अहमद, महमूदपुर, मंधौर, गुगाभाड़ी हरिजन बस्ती, कल्हड़ी, बोह, सुबरी, सीमबला, बुधीन
2.	भिवानी	132	कादमा, ढाणी भालोटिया, ढाणी बाना, छिलार, गोपालवास, गुजरा की ढाणी बसकारा, कलाली, डंडामा, भोपाली, बदवान, दतोली, मोरंगाबाद जाटान, मकरागा, डगरोली, रुदरोल, मेहरा, घोला, जमालपुर, भुरतागा, पलड़ी, झोजूकलां, ओरंग नगर, कालूवास, ढाणी हरसुख, बामला, पल्लूवास, नाथूवास, धनाना, मैणी शेरों, ढाणी हरि सिंह, गुजराणी, बहेसरा, चांद, जीता खेड़ी, तालू कुंगरे, बांदा हेड़ी, खरखेड़ी, सूई, टिगराना, मंदाना, नीताथल, सिवाना, कलिंगा, साई, बसाना, खड्ग कलां, बोहल, किरावर, निमान, सांगा, मलपोस, बडाला, धरेडू, हल्लूवास, धरेडू, इमलौटा, माजरा, नीमली, नोगांव, मलिकपुर, पांटावास, साहूवास, शमावर, रनीला, रनीलाबास, जयश्री, कोलावास, चरखी, संतोर, बेहरोर, पुम्भ, संजालवास,

[सरदार परमवीर सिंह]

1	2	3	4
			<p>बोंदखुर्द, भैरवी, अख्तयारपुर, धोकी, खातीवास, झिझर, अघिनाताल, बिरोहर, भगवी, कासनी, फतेहगढ़, छप्पर, अचीना, बिरही कलां, कपुरी, चरखी दादरी, टीकन कलां, फरतीया भीमा, धोली ढाणी, गागरवास, फरतिया केहर, बरवा, डिभावा जाटान, बरालू, ढाणी करवासरा, बांडवास, बसीरवास, सूरपुर, गडुवा, मलोई, मंडोली कलां, मंडोली खुर्द, शिवाच, भीली, गागड़वास, अहमदवास, गोधारा, अंजर इयोरान, कलाली, सिरसा, खड़क, बिदोला, भारीवास, लेघाहतवान, संदवा, खावा, भूषण, ढाणी दलाल, मंडन, ढाणी कटवार, ढाणी बीरां, कैरू, संदवा, सुंगरपुर, घिनाना</p>
3.	फरीदाबाद	19	<p>पली, नायकपुर, पावटा, सीलोखेड़ी, लदयापुर, फिरोजपुर कलां, जाझारू, सागरपुर, मोहल्ला, हरफली, भुकरपुर, दियालपुर, हीरापुर, नरवाली, छिष्ठा, कमेरा, फतेहपुर बिलोच, झाड़, सांतली, समापुर</p>
4.	फतेहाबाद	92	<p>धीमन, बेहला, वींदर, धारनियां, कनोह, बिगार, बगू मोड़ी, भट्टू कलां, नेहूवाला, डिंगसरा, धांगर, बरसीन, एम.पी. रोही, ढाणी माजरा, मोवी, देहमान, बेजालपुर, खाबड़ा, खरखेड़ी, सनरांगपुर, गोरखपुर, धारनिया, ढाणी गोपाल, खेड़ी काजलहेड़ी, खारा खेड़ी, गोरखपुर, दाबी खुर्द, रूपाना जाटान, बड़ोपल, बभगांव, बोडीवाली, सरवारपुर, जंडवाला बागड़, साहापुरिया, रामसारा, जोगीवाला, दयेर, बन मंदोरी, भुटान खुर्द पंडेड़ी, कुकरावाली, करनोली, नागपुर, गांदा बुर्ज, एम.पी., सूटर, बाबलपुर, मानकपुर, अयालकी मल्हार, ढाणी थोबा, सरदारे वाला खाई, पीलधिया, अलिका, ताली, रत्ता खेड़ा, चुली बागड़िया, सादलपुर, डिगोह, ढोलू, भीमेवाला, चेलन, नडोरी, ढाणी तलवाड़ी, सादनवास, ननहेड़ी, घासवा, म्यौंद कलां, समैन, जांडली खुर्द, मथूवाल, बुवान, ईदाछोई, धोतरू डिगोर, सिंगठलां, ढाणी दोलत, भट्टू भांगली मोही, तलवाड़ा, चुलर, कालिया, जाखल, रूपवाली, रताथेह, धीरनू, भुडानपुर, सिम्बलवाला, ढाणी कृष्ण कुमार</p>

1	2	3	4
5.	गुडगांधा	09	जय हिन्द की ढाणी, उबोदा, लोकरडी, लोचब, दोलताबाद, भानू खुर्द, बंदवाड़ी, बेहरामपुर, दोलताबाद
6.	हिसार	55	उगांला, गुसकानी, श्यामसुख, मोहब्बतपुर, बगला, मसूदपुर, ब्रह्मवाला, कलीरावन, सारंगपुर, खासा महाजन, कभोह, संदूल, बोबुआ, खरखड़ा, लंधारी, अग्रोहा, सातरोड, भगाना, ढाणी लेट श्री प्रलहाद सिंह, बखलाना, घेटवाड़, कंदूल, किनाला, ढाणी राजू, ढाणी कुंदनपुरा, सुलतानपुर, धनाना, बुढा खेड़ा, नयागांध, सुलखनी, खरकड़ी, धिकताना, धांसू, माजरा, जनता नगर, शिसायलोहड़ी, ढाणी कुम्हारियां, मुंडाल, सिंगवानखास, मदनहेड़ी, पुटी, मैणी अमीरपुर, मिर्जापुर, बडाला, बरवाला, बधवार, कोट कलां कापरो, ढाणी कांठू, कागसर, सुलखनी
7.	झज्जर	187	बहू, खानपुर कलां, सारिया, गोछी, बिरथाला, भूरावास, झांभवा, जमालपुर, बाहू, मकराना, खोरा, कासनी, निवादा, गोरिया, बहरंगी, ईरमैला, दिमाना, सुन्दरहेटी, नीलाहेड़ी, लडथान, सालावास, अखेड़ी मदनपुर, रायपुर, गीजारोड, मुंडसा, नोगावा, डावला, तालव, रणखंडा, कालीथास, भागवी, बीरोर, मुण्डाहेड़ा, बेहराना, छारा, सुरहेटी, सरोला, अहरी, जेतपुर, माछरोली, धोर, खेड़ी, पटौदा, करोला, माजरा डी., ससरौली, झामरी, मेहराना, छोची, अमदालपुर, बाहू, जहाजगढ़, मरोट, भींडावास, डाकला, भटेरा, हिमाशुपुर, पिचौला, भरमपुर भोरियावास, लैलाहेड़ी कोयलपुर, नांगला, जाहिदपुर, बहरौद, सेहलगा, रुडियावास नीमली, सुरहा, किलोई, गिरावर, दुबलघन, पहरौपुर, पटौदा, नूरगढ़, सलोधा, बाबरा, झज्जर, थिंदाना, सिवाना, अचीजा, गोधारी, सफीपुर, दुजाना, ससरौली, सेहलांगा, सिलानी, बादड़ा, खपरवास, बेहराना, धंदलान, उटलोधा सिलाभा, उखल चाना, रैया, कुंजिया, भटेरा, घटौली, सुहेड़ा, औरंगापुर, साल्हावास, मातनहेल, फतेहपुरी, छप्पर, सरोला, समसपुर माजरा, खुदान, यजीरपुर, बाघपुर, चिमनी, सिवाना, झामरी, गोधरा, खाशी, निलोटी, जसूरखेड़ी, भैंसरू, लडराबन, किरौली, सालदा, सिधीपुर, मुकंदपुर,

[शरदार परमवीर सिंह]

1	2	3	4
			जयंती, असौदा, रोहाद, मनदोठी, बमनोली, बराही, बहादुरगढ़, बमनोली, कनोदा, तंदाहेडी, मेहंदीपुर दबोदा, देहकोरा, लंदावान, लोहारहेड़ी, खुंगी, खेड़का, नंगला, जाहिदपुर, लुक्सर, गुबाना, माजशा, बुपानिया, माजरी, बाकरगढ़, गुभाना, जहांगीरपुर, गोयलाकला, ईसापुर, दरियापुर, खेड़ा-खुंगई, पेलपा, लाहपुर, शालीग्राम पियारु, लोहाट, मुण्डा खेड़ा, गंगरवा, लुक्सर, मुण्डेल, कुटानी, गुभाना, बाजीतपुर टापा, दबोधा देसालपुर, सोल्धा, देवर खाना, ईरमाईला, जहांगीरपुर, खेड़ीजाट, खुंगई, बादशाह, बपरोदा, देहकोरा रोहाद, छारा, खेड़ी आसरा, असंदा, खरहर, छोछी, खरहर, छुडानी, खरमान, दुलेरा, दुल्हेड़ा, सुरकपुर
8.	जींद	86	लोचब, बरसाना जीतगढ़, शाहपुर, मनदाल खेड़ा, खोखरा, मनोहरपुर, बोहटवाला, राजगढ़, डोबी, खरबवाल सूरजखेड़ा, गुरथैल, अम्बरसर, अझाना, हमीरगढ़, जाजनवाला, सेगथाली, करसिन्धू, भुसलाना, गोली, रोघ, अफताबगढ़, निम्नाबाद, मलिकपुर, रोघ, मुआना, पित्तलूखेड़ा, तलोदा, दादरथ, खड़क गादियां, लुदाना, भिरताना, ह्यादवा, बागरु, भिरताना, गंगोली, भुरैन, कालवा, रेतोली, बेरी खेड़ा, चत्तर, मण्डी कलां, डुमरखां, तरखा, दनोदा, दुरजनपुर खुर्द, भीमेवाला, डुमरखां, झाकल, खरक बूरा, शामदो, दहोला, खेड़ा मसानिया, उचाना खुर्द, बुडेन, बड़ौदा, कसूहान, अलोधा, छातर, दहोला, बरसोला, भानागढ़, खटकर, धनोदा, भीखेवाला, हथवाला, लीजवाना, अकालगढ़, गोबिन्दपुर, ईगढ़, दोरार, मालवी, कमचखेड़ा, कारेला, मुआना, खरेंटी, किनाभा, रामकली, द्विगाना, बिबीपुर, बेहबलपुर, शधाना, सामली खुर्द, हथवाला, बुढा खेड़ा लाठर, मेहरेदा, नंदगढ़, भौसला, खटकर, राजपुर, इंदैल कलां, गंगोली, रायचंदवाला, पेगन, दुराना, संदील, थुआ
9.	कैथल	111	बुढा खेड़ा, ग्योंग, कुतुबपुर, हरसोला, दयोद खेड़ी, ग्योंग, मुंदडी, सांपली खेड़ी, खुशाना, मलिकपुर, गुहना, दिलोवाल, कुलताना, भागोमाजरी, फरानसंथाला

1	2	3	4
			<p>वेगपुर, काकोट, छोट, भानपुरा, टीक, कयोइक, कतेसर, थडसीकरी खुर्द, बालू, खेड़ी, शेरू, हरसोला, रत्तमपुर, वाजीद नगर, चन्दाना, लोधर, मटोर, खुरादा, सोंगरी, संदील, रामगढ़, बला, राजौद, फरियाबाद, कोले खान, खेड़ी लांबा, कैलरम, गुलियागा, दुब्बल, सजूमा, खेड़ी शेरू, संतोख माजरा, भरवाल, नराड़, रत्ता खेड़ा, भबकपुर, खरका, उरलाणा शेरु बचन सिंह, बडरूई सिंह, कवारतन, नौच, सिहाली, पपराला, चक्कूलदाना खरकडा, करोदी, देशरपुर प्लायट, भागल, सीवनस गोहरन, मरतगढ़, नंदगढ़, खुशाल माजरा, पीडल, खरीदी, खेड़ी गुलाम अली, मंझला, मैणी साहिब, करोरा, रहेड़ा, शेरडा, बस्थली, झाल, ठरोटा, टयोठा, दुलघानी, अहून, माजरा, हजवाना, करोरा, पाई रमना-रमणी, अहून, सोंगल, भाना, टयोठा, दुसेन, करोरी, कुकर कांडा, सांच, बुची, जांडोल, बरथेड़ी, फतेहपुर, झज्जरपुर</p>
10.	करनाल	83	<p>काछवां, जरीफाबाद, बाजीदा रोड़ना, पुण्डरक, बांसा, जुण्डला, पक्का खेड़ा, थारी, फपराना, जुण्डला, औगाद, जलाला, धीरां, बहलोलपुर, पंगाला, बाकल, ठरवा, पाढा, मोर माजरा, धर्मगढ़, बस्लाह, नारु खेड़ी, जानी, जयसिंहपुरा थाल, मुंडा, डेरा बलबीर सिंह, डेरा साहिब सिंह, पिंगली, लालमना, कबुलपुर खेड़ा, कुरलान, कबुलपुर खेड़ा, धरौंडा, कटलेहड़ी, मांजूरा, ददलाना, बेगमपुर, ददलाना, बासतरा, नरीसपुर, खुडा कलां, बड़ा गांव, माखू माजरा, गगसीना, गोगड़ीपुर, शाहपुर, भभोहरपुर, राजेपुर, उमरपुर, पठेरा, कलरी जागीर, नन्हेड़ा, बादरपुर, जोहर माजरा, फाजिलपुर, नगला रोड़ान, घीड़, कुड़ाक, गोबिन्दगढ़, चुरनी जागिर, गुरुधारा, राम्बा, गंगार, बड़ागांव, मुगल माजरा, सावंत, हबीलपुर, बस्तू सिंहरा, नन्दाना, शामगढ़, चोकरी, साम्बी, घोलपुरा, गुल्लरपुर, मंचूरी, डाधर, बदनारा, ब्रास, गोदर, निगडू, सिंहरा, भोजपुरा।</p>
11.	कुरुक्षेत्र	89	<p>अभीन, बारानी, सुन्दरपुर, डेरा कलां, पलवल, रावगढ़, घमोर खेड़ी, हंसाला, धमोरखेड़ी, बारही,</p>

[सरदार परमवीर सिंह]

1	2	3	4
			मुण्डा खेड़ा, बालही, पिंडारसी, पबनावा, धराइसी, बारना, मुर्तजापुर, डेरा बाजीगरा, जुरासीकलां, ईस्सक, सियोनसर, डेरा सुरेन्द्र चड्डा, मोहनपुर कड़ा साहिब, बसंतपुर, बीजड़पुर, संधोली, नानकपुर, दिवाना, शमपुर, दुनिया माजरा, गोगपुर, कैथला, लोटनी, खेड़ी सैधियां, बुच्ची, धुनीमाजरा, भुसथला, मर्तजापुर, सैसा, घड़ी लागरी, शाहपुर, कलसा, जुलमत, नीमवाला, रामगढ़, कैक्योर, टसका मीराजी, मेघा भाजरा, शाहपुर, अरनेचा, खेड़ीशीशगढ़, थाना, बलवंती, सादिकपुर, जलबेहड़ा, डेरा भोसाई, बोडा, हरिगढ़ बोरख, डेरा सुखविन्द्र सिंह, रामगढ़ रोड़ लुखी, गुरुद्वारा चितगढ़ साहिब, डेरा फतेहसिंह, डेरा कर्म सिंह रंधावा, गुमथला, डेरा नत्था सिंह, थाना, बेभपुर, सारसा, गडद्वी सिंहा, संधोली, बुढा, हनोरी, गुड्डी, बुखारी, किशनगढ़, खेड़ी गोदियां, जैनपुर, बराहान, खारियां, खरीडंवा, बकाना, सेनी माजरा, डोल, त्योड, दौ माजरा
12.	मेवात	46	जय हिन्द की ढाणी, दोबादा, लोकरी, लोचब, दौलताबाद, नानुखुर्द, भण्डावरी, बहरामपुर, खोरी, टाकिया, सिंहलेरी, कैरला पुन्हाना, जैतालका, मोतीकुर्द, सिरोली, जांडा, नीमाखेड़ा, बादेड़, जमालगढ़, टीकरी, लोहिंगाकलां, अंचवारी, दोहा, सिहरी, पिपरोली, बन्दोली, पाढला हजमपुर, शाहपुरियां, सकरास, फिरोजपुर झिरका, ईदगाह, मादपुर, पिमा खेड़ा बादका, तीरवारा, सुलतानपुर पुन्हाना, हिंगानपुर, मुल्थान, भुड़वास, बसाई खानजादा, फिरोजपुर डेर, धनडेरी, रेहना, फिरोजपुर भियों, सिखरावा
13.	मोहिन्द्रगढ़	18	जाट गुआना, सागरपुर, कालबा, असरवास, साहकोरा, रोपर सरोई, पंचनोटा, ढाणी सीता सिंह, जैलफ कमोदा, झुक, माजरा कलां, गांधियां अहिर, दहलोद जट्ट, मेहरापुर, घाली, सीमा, छितरोली
14.	पलवल	28	भगला भिखू, रीठाल, अलावलपुर, कैथवारी, धारीत, थादूपुर, पंचवटी, डोलागढ़, फिरोजपुर, अगवानपुर भवन खुर्द, पेलका, तारका, मुस्तफाबाद, गुल्लाबाद

1	2	3	4
			बंगला करीमपुर, चांदहट सिहोल, रसूलपुर, खेडला, धुनदेड़ा, पातली खुर्द, ककराली, लालवा, डाढोला, रामपुर खोर सिकंदरपुर, धातीर, बिचपुरी, घरोट
15.	पानीपत	43	रिसालु, जाटटल, खुकराना, दिवाना, पानीपत, बुरशाम, नौलथा, बबेल, ढिंडार, अहूलाना, राकेशरा, दत्तोली, धड़ी छज्जू, मतरौली, ओढां, करहंस, जौरासी, हल्दाना, महावती, भोड़वाल माजरी, चुलफाभा, गढी बहलोर, बापोली, छाजपुर कलां, अतोलापुर, नारनिथां, गवांलरा, गोला खुर्द, संजौली, काला अम्ब, मोहाली, दिकादला, जौरासी, कालखा, बहादर, सोडापुर, खुकराना, ईसराना, महमूदपुर, भोली, मडलौडा, सीक, अनचरा खुर्द
16.	पंचकूला	11	टपरिथां, रत्नेवाली, खेतपराली, शामदू, अमराला, सुलतानपुर, जलोली, शामपुर, काजनपुर, चिकन मार्ग, ब्राहमणवास
17.	रिवाड़ी	52	रबारका, जन्त, वौलता, बंद, नंदरामपुर, बास, भटगसाना, कौन्सीवास, पाडियावास, धारुहेड़ा, सोहन, गुज्जर की ढाणी, रतनपुर की ढाणी, जारथल, लूला अहिर, श्याम नगर, झारोडा, दाखोरा, भगवानपुर, बावा, गहारा, लुखी, मुमलाजपुर, खुर्दीद नगर, जखाला, बयरामपुर, भार्गी, खुर्दीद नगर, गोरिया, झाला, शहादत नगर, कोसली, जेनाबाद, सिहामोड़, जाटूसाना, भोटवास भोड़ू, मांदिथा, धालावास, धवाना, नांगल पठानी, भरथला, रुध, धिराहारा, हरचांदपुर, बावल, मैणीपुर, ईब्राहिमपुर, बयपुर, नरसिंहपुर, धरन, दालियाकी, ढाणी सुन्दरोज, भोटवास अहिर, मखारिया, रायपुर
18.	रोहतक	278	कतहेली, पेहरावार, गिरावार, भगवतीपुर, मकरोली कलां, लाडोत, सांघी, घिलौर, भालोट, बालिथाभा, मुनशिथांथाला, काहनी, घामर, चमारिया, मकरोली कलां, रुड़की, आसन, जसिया, खिडवाली, पोलंगी, मुंगान, अनवाल, जिडरान, रुड़की, धाकस्ना, गढी, निगाना, कहानीर, सिवाना, सांपला, बसाना, संगहेड़ा, पिलाना, चिडी, नांदल, चमारिया, ब्राहमणवास, मकरोली कलां, बोहर भोपान, मकरोली खुर्द, हथवाला,

[सरदार पशमवीर सिंह]

1	2	3	4
			<p>चांदा, बलियाना, जासिया, धामड़ा, गुरुकनई, बखेता, सिसाना, लाडोट, टिटोली, सिसर, साई, अटेल, मिज्जी, समधाना, नोबाद, बलियाना, हसनगढ़, मिलोमी, धनाना, ककराना, बलम्ब, नसीरपुर, ससरोली, भलोद, पकस्मा, खरेंटी, बेंसी, मुरादपुर टेकना, बहु अकबरपुर, भैणी चन्द्र पाल, खेड़ी महम, समर भोपालपुर, गरनौटी मोर, सुनारिया कलां, गिरावर, बसंतपुर, पोलंगी, अस्थल बौहर, चुलियाना, कारोर, जसौर खेड़ी, किलोई महम, सिंहवा, भैणी मटहू, खरकड़ा, सामण, खरक जाटान, किला जफरगढ़, कथूरा गोशर, ढापी चमारिया, कलानौर, मोनाद, गुगाहेड़ी, हताई, कथूलपुर, बिशन, धिलोर खेड़ा, फरमाना, देश खेड़ा किशनगढ़, बहु, खानपुर कलां, सेरिया, गोच्छी, बिरथला, भूरावास, झांसवा, जमालपुर, मकराभा, खोरार, कासनी, निवादा, गोरिया, बहरांगी, ईस्माइला, दिमाना, सुन्दरहेटी, निलाहेड़ी, लडावन, साहवावास, झांसवा, अकेड़ी मदनपुर, रायपुर, गिजारोध, मुंडसा, नौगांव, डावला, तलाव, रणखण्डा, कालियावास, भागवी बिरोर, मुण्डाहेड़ा, बहराना, छारा, सुरहेटी, सरोला, अहेड़ी, जैतपुर, सुरेटी, मछरौली, धौर, खेड़ी खुमार, पटौदा, करोला, माजरा डी, देवालय, ससरोली, झामरी, मेहराना, छोछी, अहेड़ी, जहाजगढ़, भरोट, मिंडावास, जमालपुर, भूरावास, कासनी, ढाकला, मछरौली, भटेरा, हुमाथुपुर, न्योला, रुडियावास, लीला हेड़ी, कोयलपुर, मुंडाहेड़ा, नंगला नीमली, सुहरा, मेहराना, दुबलघन, पहड़ीपुर, पटौदा, भूरगढ़, सलोडा, बाबरा, झज्जर, बीरघाणा, अच्छेज, गोधरी, सफीपुर, फारीपुर, सेरिया, दुजाना, बाबरा, खपरवास, धंदलान, उखल चना, रेशा कुंभिया, घलोली, सुहरा, औरंगपुर, मातनहेल, फतेहपुरी, छप्पर, सरोला, समसपुर भाजरा, खुड्डन बजीरपुर, बाधपुर, चिमनी, झामरी, गोशरा, कुलासी, मिलोटी, जसौरखेड़ी, भैसरु, लडरावान, सोल्वा, सिधीपुर, मुकन्दपुर, जयंती, असोदा, रोहद, मनडोटी, बामनोली, बाराही, बहादुरगढ़, कनौदा, टांडाहेड़ी, मेहंतीपुर डाबोदा, देहकोरा, कनौदा, लोहारहेड़ी, खुंगई,</p>

1	2	3	4
			खेडका, मंगला, जाहिदपुर, लुक्कर, गुमाना, माजरी, बुपनिया, धकरगढ़, जहांगीरपुर, गोयलाकलां, बादली, ईसापुर, दरियापुर, पेलपा, लाडपुर, साहिलग्राम प्याउ, लोहाट, मुंडाखेडा, गंगरवा कुटानी, झूभा गुमाना, बाजीलपुर टापा, रसलवाला, डाबोधा देसलपुर, देवरखाना, ईस्माईला, जहांगीरपुर, खेडी जाट, खुंगाई, मुंडा खेडा, बादशाह, भापडोदा, देहकोरा, रोहाद, छारा, खेडी असरा, आसण्डा, खरहर, छारा, चुडानी, खरमाणा, दुल्हेडा, सुखपुर
19.	सिरसा	91	सुलतानपुरिया, रानियां, फोरकां, ढाणी नायकां, अमेदपुरा, ढाणी संता सिंह, केहरवाला, रामपुरशेर, धोलपालिया, संतावाली, जीवन नगर, किशनपुरा, साहिब राम, रफू राम ढाणी, धोतार, कुम्थला, मेहना खेडा, हरिपुरा, अमृतसर खोब नटोर, कोथा सैनपुर, हिमाथु खेडा, मुसली, निर्जापुर ठेर, करीवाला, धर्मपुरा, बहिया, मट्टूवाला, मिठी सुरेरां, तलवाडा खुर्द, तरुणा, बड़ागुढा, थिराज, मलहेडी, बड़ागुढा, भीमा, रोहान, गदराना, चकेरिया, कलूआना, चक्कां, मेहना खेडा, साहूवाला, पाई वाला मोटा, बीरुवाला गुडा, सुबाखेडा, बूर्ज भांगू, दादू तख्तमल, कमल, कुलाना, पक्का कोरियां, रघुआना, अहमदपुर डरेवाला, केहरवाला, भांगू, रोडी, आनन्दगढ़, रघुआना, शेखपुरिया, जंझवाला जटां, ढाणी खोवाली, खुईयां मकलाना, मठ दादू, नरेल खेडा, भवकीन, भोडिया खेडा, मलिकां, फवेन कलां, डरबी, कंथरपुरा, अलीमोहम्मद, मगोली, नेजादेला खुर्द, ओल्ड नेजादेला, ओल्ड केलनियां, ढाणी खाथा, खारियां, भाथूसारी कलां, लडेसर, मकोशरानी, सकरमंदोरी, झोरारवाली, खेडका, बाजेकां, सिकन्दरपुर, खेजाखेडा, मताड, पंजुआना, ढाणी खोवाली, संतावाली नकोरा
20.	सोनीपत	64	कथूरा, छिछराभा, जागसी गंगाना, सरफाबाद, अहमदपुर माजरा, बरोधा, थुथान, अह्लुलाना, मदिना, भैसवान खुर्द, ठसका, मुडलाना, धुराना, सालापुरा माजरा, नैना तातारपुर, कडेवाली, चिलाना, समरी, महरा, पुरखास, पुंगथला, सरढाना, नया बंद, पीर गढ़ी, चंदोली, कैलाना, सीतावली, बड़ी, शाहपुर

[सरदार परमवीर सिंह]

1	2	3	4
			तेगा, दत्तौली, त्थोड़ी, मोई, बारोली, नांदनौर, हलालपुर, मंडोरी, नाहरी, नाहरी माजरा सफियाबाद, टिलोला, मिमारपुर, पटला, अटेशना, सिसाना, चोलकी, फिरोजपुर बांगड़, जटोला, कतलुपुर, हरेवाली गौशाला, चिनौली, सिसाना, खरखौदा, बिदलान, रिडाउ, सलीमपुर माजरा, ककरोई, तिहार खुर्द, राठधाना, बहालगढ़, हरसाना खुर्द, हरसाना कलां, लीवान, गढ़ी सिसाना, मोरखेड़ी
21.	यमुनानगर	113	अहलवाला, अकालगढ़, अकबरपुर, अलाहर, अम्बली, अशियावाल, अजीजपुर, बहादुरपुर, बहलोलपुर, बकाना, बंसे वाला, बरौली, बेगमपुर, बेरथल, भम्बोली, भम्बोली, भूश्वारी, बिजौली, बूरियां, छज्जू नगला, चमरोडी, चंदाखेड़ी, चनेटी, चंगोली, चराही, छोली, दादूपुर, दामला, दानौली, दोलतपुर, दयोधर, डेरा सलेमपुर, धंधारपुर, धर्मकोट, धोलरा, गढ़ी बंजारा, घिलौर, गोलभी, गुजलाना, गुलाबगढ़, हैदरपुर, हीरां छप्पर, ईब्राहिमपुर, जंघेड़ी, जयपुर, जठेरी, जठलाना, झार चांदना, कलावर, कंदरौली, कन्हैरी कलां, कन्हैरी खुर्द, खजुरी, खेड़ी दर्शन सिंह, खेड़ी कलां, खिजराबाद, खुन्डेवाला, किशनपुरा, कोटेशखाना, कोटराखान, कोटराखास, खूखनी, लहारपुर, लाकसीबास, मधुवाला, महमदपुर, मानकपुर, मानकपुर मण्डी, मशान जटान, मेगुवाला, मेहमादपुर, मिलकसुखियां, मोबालीवाला, मुजाफत कलां, मुकाराम पुर, मुण्डाखेड़ा, मुरादपुर, मुसम्बताई, नच्छरों, नगला जागिर, नवेवाला, नालागढ़, नाथनपुर, पालेवाला, पंसरा, पीरुवाला, पील्लखनवाला, रायपुर, राजपुर, रामगढ़, रसूलपुर, शतौली, रथुवाला, रहरों, रोड छपर, सबापुर, सबिलपुर जाटान, सैलबा, सैनी बास, संखहेहा, सरन, सरावीं, सरावां, शाहपुर, श्यामपुर, सिकन्दरा, सिंहपुरा, तलाकोर, टिगरा, टोडरपुर, टोपरा कलां, ऊंचा चांदना।
	कुल	1687	

Repair of Roads by HSAMB

27. **Shri Kali Ram** : Will the Agriculture Minister be pleased to state—
- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads of H.S.A.M.B. in Safidon Constituency :—
- (i) Morkhi to Bhudana;
 - (ii) Malikpur to Didwana;
 - (iii) Radh to Dera Maliyawala;
 - (iv) Kalwa to Pillukhera;
 - (v) Bagru Khurd to Aichra Khurd;
 - (vi) Ritoli to Muwana; and
- (b) if so, the time by which these roads are likely to be repaired ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

- (क) हाँ, श्रीमान् जी, (क्रम संख्या (v) पर दर्शाई गई सड़क के इलावा, जो कि लोक निर्माण (भवन व सड़कें) विभाग से सम्बन्धित है, जिसकी मई, 2009 में मरम्मत की दी गई है)
- (ख) क्रम संख्या (ii), (iii) तथा (iv) की मरम्मत मार्च, 2011 तक व क्रम संख्या (i) व (vi) की मरम्मत सितम्बर, 2011 तक पूरी होने की सम्भावना है।

List of Ayurvedic Medicines

31. **Shri Naresh Sharma**: Will the Health Minister be pleased to state—
- (a) whether Ayurvedic Medicines prescribed by the Doctors are reimbursable; and
- (b) if so, the list of such medicines which are reimbursable may be made available?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातमहेल) :

- (क) हाँ, श्रीमान् जी।
- (ख) जो दवाईयां प्रतिपूर्ति योग्य हैं, उनकी सूची संलग्न है।

LIST OF MEDICINE

ASWA			
1. Arvind	4. Daraksha	8. Loh	12. Sarivadi
2. Chandan	5. Kanika	9. Lodhara	13. Usheer
3. Chitrakadi	6. Karpoor	10. Patrang	14. Angur
	7. Kumari	11. Pippalya	15. Bhringraj

[श्रीमती गीता मुक्कल भासनहेल]

16. Mriganmad	5. Sapat Amrit	27. Tamra	6. Bagrakshar
17. Kushmand	6. Yawani	28. Tankan	7. Bilwadi
18. Khazoor	BHASAM	29. Trivang	8. Bhuneshwar
19. Kal megh	1. Abharak	30. Tuburi	9. Dadimashtak
20. Punarawa	2. Adhrak Stav	31. Tuth	10. Eladi
21. Phal	3. Akik	32. Vikrant	11. Gangadhar Bharit
22. Parsikyavani	4. Banga	33. Yashad	12. Gangadhar Laghu
ARISTHA	5. Godanti Hartal	34. Bairpathar	13. Gangwasthak
1. Abhya	6. Hajarlyahood	35. Bal Mandur	14. Jatiphaladi
2. Amrita	7. Jahar Mohra Kathai	36. Gomaid	15. Kukubhadi
3. Arjima	8. Kaparbika	37. Hartal	16. Lawangadi
4. Ashoka	9. Kasis	38. Kant loh	17. Lawanbhaskar
5. Ashwangandha	10. Kharpar	39. Karishn Abhrak	18. Lai
6. Babbula	11. Kukutandtwak	40. Madhu Mandur	19. Maha- sudharshan
7. Draksha	12. Loh	41. Mund Loh	20. Narsingh
8. Dev Darvyadi	13. Madur	42. Manik	21. Namak Sulemani
9. Danti	14. Mayur Chandrika	43. Nilam	22. Panch Sakar
10. Dashmoola	15. Mukta	44. Swethabhark	23. Shiwashar- pachan
11. Jirakadi	16. Mukta Shukti	45. Sangejarahat	24. Sitopladi
12. Kutjarishta	17. Nag	46. Sangegyud	25. Shuntheyadi
13. Khadira	18. Panna	47. Tinkshan Loh	26. Somkalp
14. Punarnawa	19. Parwal	48. Tal Sindur	27. Talishadi
15. Rohitak	20. Ropya	49. Jahar Mohra	28. Triphla
16. Saraswata	21. Ropya Makshik	CHURAN	29. Veshwanar
17. Sarivadi	22. Shankh	1. Agnimukh	30. Yawani Khadra
18. Vidanga	23. Shring	2. Arishtadi	31. Atees
19. Vasa	24. Shukti	3. Ashawgandha	32. Ajmood adi
ARK	25. Swarn	4. Avipatkar	33. Astanglawan
1. Ajwain	26. Swarn Makshik	5. Balchtur- bhardhar	
2. Gauzban			
3. Paudina			
4. Saunf			

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 34. Amalkyadi | 63. Pushya nug | KUPI PAKWA | 7. Navayas |
| 35. Agnisandipan | 64. Samuderadi | 1. RS | 8. Pipleadi |
| 36. Bharami | 65. Sarapgandha | magadhgawaj | 9. Putpak |
| 37. Chandanadi | 66. Sarsvat | 2. Mall Sidhoor | Vishmjwara |
| 38. Chitarokadi | 67. Shantivardhak | 3. Ras Sindoor | 10. Pradarantak |
| 39. Chopchinyadi | | 4. Sawarn Bang | 11. Pradari |
| 40. Gokshuradi | GUGGULU | 5. Swarn Sindur | 12. Raktpintatkar |
| 41. Hingwadi | 1. Amritadi | 6. Tal Sindhur | 13. Rohitak |
| 42. Jirak | 2. Duranamari | 7. Tamra Sindur | 14. Saptamrit |
| 43. Jwarujaita | 3. Gokshuradi | 8. Astamurti | 15. Sarvjvahar |
| 44. Kadhiradi | 4. Kanchnar | 9. Darad Sindur | 16. Sarvjvahar |
| 45. Lawan | 5. Kashore | 10. Manikay Ras | Vriht |
| Teriteyadi | 6. Lakshadi | 11. Nag Sindur | 17. Tapyadi |
| 46. Nagkesar | 7. Mahayograj | 12. Panch Suta | 18. Vishwjwara- |
| 47. Alashwi jadi | 8. Navak Pashika | 13. Samir Pannag | ntak |
| 48. Rakt Ranjan | 9. Pathyadi | 14. Sawarn | 19. Vidanghadi |
| 49. Raichak | Guggulu | Bhabuti | 20. Yakritari |
| 50. Shtabreyadi | 10. Panchtik Ghrit | 15. Swarnraj | 21. Yakrit Plihahari |
| 51. Shivashar- | Guggulu | Vangeshw | 22. Amalkeadi |
| pachan | 11. Punarnavadi | 16. Shadgunaba- | RAS |
| 52. Sudarshan | 12. Rasnadi | lijarit | 1. Agni Kumar |
| 53. Sudh Gandhak | 13. Saptavinshti | 17. Tripur Bhairav | 2. Agni Sandipiln |
| 54. Ugarandha | 14. Singnad | Ras | 3. Agasti Sut Raj |
| 55. Apasmar Ripu | 15. Triyodshankh | 18. Vrihit Puran | 4. Ajirana Kantak |
| 56. Vijay | 16. Yograj | Chand | 5. Amar Sundasi |
| 57. Lakashyadi | 17. Panchgat Loh | LOH | 6. Amir |
| 58. Bhrit Lawang | 18. Rasnadi | 1. Amalpintantak | 7. Amrit Arnava |
| yadi | MADOOR | loh | 8. Amvatasi |
| 59. Mulervirechan | 1. Punarnawah | 2. Chandanadi | 9. Anand |
| 60. Maridurechak | 2. Sothhari | 3. Chandramrit | Bhairwa |
| 61. Neembadi | 3. Triphla | 4. Dhatri | 10. Arsh Kuthar |
| 62. Nindrasagar | 4. Triushnadi | 5. Gaduatcadi | 11. Ashwa |
| | | 6. Medoharvidng | Kanchuki |
| | | adi | |

[श्रीमती गीता भुक्कल मालनहेल]

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 12. Bangeshwar | 37. Hridaye-shwar | 62. Maha Nriptti Balbh | 84. Shringar Abhra |
| 13. Bal Rogantak | 38. Hemgarbh Pottali | 63. Mahagandhak Rasayan | 85. Swash Khutar |
| 14. Bahu Mutaltak | 39. Jaya Mangal | 64. Mahaja-warankush | 86. Swas Chintamani |
| 15. Basant Kusmakar | 40. Kalaptaru | 65. Maha Laxmi Vilas | 87. Smriti Sagar |
| 16. Basant Malti | 41. Kalyan Sunder | 66. Mritunjaya | 88. Somnath |
| 17. Basant Tilak Basant | 42. Kal Kut | 67. Mrigang | 89. Sut Shekar |
| 18. Bnuw Neshwer | 43. Kam Dhenu | 68. Mukta Panch Anuit | 90. Suti Kari |
| 19. Chaturbhuj | 44. Kam Dhudha | 69. Nasht Pushp Antak | 91. Sutika Vinod |
| 20. Chalur Mukh | 45. Kanak Sunder | 70. Nagarjun Abhrak | 92. Sutika Bharan |
| 21. Chandera Kalan | 46. Kaph Ketu | 71. Nityaudya | 93. Swachand Bhairav |
| 22. Chander Shekher | 47. Kaph Chintamani | 72. Panchpane-hana | 94. Swarn Malini Basant |
| 23. Chander Kant | 48. Karpoor | 73. Panchvaktra | 95. Samir Panag |
| 24. Chander Amrit | 49. Karavyad | 74. Peushvalli | 96. Samir Gaj Kesari |
| 25. Chandranshu | 50. Krimimudgar | 75. Nirpati Valbh | 97. Tarkeshwar |
| 26. Chintamani Chatur | 51. Kasturi Bhairav | 76. Partap Lankeshwar | 98. Tribhawan Kirti |
| 27. Dantudbhed-gadant, | 52. Kasturi Bhushan | 77. Padrantak | 99. Trinetra |
| 28. Ekangvir | 53. Kusht Kuthar | 78. Padarripu | 100. Trilokya Chintamani |
| 29. Gangadhar | 54. Kumudeshwar | 79. Parwal Panchamrit | 101. Vatraj |
| 30. Gandha-krasayan | 55. Kumar Kalayan | 80. Ramban | 102. Vat Kulantak |
| 31. Gandhak Mala Kand | 56. Laghu Malni Basant | 81. Shirah Shul Vajar | 103. Vat Rakat Antak |
| 32. Garbh Cintamani | 57. Laxmi Naryan | 82. Shul Gaj Kesari | 104. Vat Gaj Ankush |
| 33. Garbh Pal | 58. Laxmi Vilas | 83. Sidh Praneshwar | 105. Vat Vidhwansak |
| 34. Grahni Kapat | 59. Laxmi Vilas Nardiya | | 106. Vat Chintamani |
| 35. Gulm Kalanal | 60. Lila Vilas | | 107. Vidhyadhar Avara |
| 36. Hridayaranava | 61. Loknath | | |

108. Yoghendar	17. Mahamash	45. Somradi	8. Ark
109. Amrit Vanjari	18. Mahama- rishadi	46. Tarpin	9. Bhagottar
110. Agani	19. Mashablaadi	47. Bakuchi	10. Bidlavanadi
111. Bolbadh	20. Mahachan- danadi	48. Bringhraj	11. Bharami
112. Balark	21. Nirgundi	49. Bilwadi	12. Bardhivadhika
113. Bhuth Bhairav	22. Panehgun	50. Bhalatak	13. Chanderpr- abha
114. Ras Raj	23. Pind	51. Khadirwad	14. Chitarkhadi
115. Rasmankya	24. Prmeshmir	52. Karan	15. Drakshadi
116. Ratangarbah Pottali	25. Punarnamadi	53. Karanj	16. Dugdha
117. Ratnagiri	26. Shadbindu	54. Karpuradi	17. Duralabh Ras Bhrita
118. Sanipat Bhairav	27. Sandhawadi	55. Mahabringhraj	18. Eladi
TAIL	28. Shrigopai	56. Mahavish- wgarbh	19. Gandhak
1. Anu	29. Shusakmuladi	57. Mahabala	20. Hingwadi
2. Bala	30. Trushati Parasarini	58. Mahasadi	21. Jatifalwadi
3. Bilwadi	31. Vasachanda- madi	59. Shanbhpushpi	22. Karanadi
4. Chandan- balanksha	32. Vrihatsand- wadi	60. Shatawari	23. Kankayan
5. Dantroghar lakshad	33. Vran Rakshas	61. Vatnashak	24. Khadiradi
6. Grahani Mihir	34. Vyaghrani	62. Vatharsaneh	25. Krimighatini
7. Irimadadi	35. Mahanaryan	63. Vishnu	26. Kesharadi
8. Jatayadi	36. Chandan	64. Arjuna	27. Kshudhavati
9. Kasisadi	37. Chalmogra	VATAK	28. Kutagajhan
10. Kiratadi	38. Dalchini	1. Mandoor	29. Lvangadi
11. Kiratadi Virahat	39. Errand	2. Shilajatu	30. Manakadi
12. Kubjaprasarini	40. Lawangh	VATTI	31. Pak Plihari
13. Kumkumadi	41. Aeladhi	1. Agnitundi	32. Prabhakar
14. Kashar	42. Malkangini	2. Amarsundari	33. Sanrhetani
15. Lakshadi	43. Nilgiri	3. Amvatori	34. Sukravatti
16. Mahanaryan	44. Neem	4. Amrita	35. Shir Shul Har
		5. Arshogani	36. Rajvatti
		6. Arshjita	37. Suranjanvatti
		7. Arogyavardini	

[श्रीमती गीता भुक्कल मालनहेल]

- | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 38. Mahasankh | 66. Garahanihar | 136. Krim Khutar | 159. Sidh Sagmi
Vilas Ras |
| 39. Marichyadi | 67. Galagand-
vinashini | 137. Kesh Kesri | 160. Sidh Makkar
Dhwaj |
| 40. Mehmudgar | 68. Jawarghani | 138. Kamdhud-lia
Muktashai | 161. Swarn Sut
Shekar |
| 41. Paneeya
Bhakta | 69. Karpur Hing | 139. Kasturi
Bhairav Ras
Bhrit | 162. Swarn Grahini
Kapat |
| 42. Panehtikta
Ghan | 70. Mandoor | 140. Krishn
Chaturamukh | 163. Sarvate
Bhadwa |
| 43. Paranda | 71. Muktadi Vatti | 141. Kaph Ketu | 164. Talkeshwar |
| 44. Rajhparvartini | 72. Madhurantak | 142. Loknath Swran
Sahit | 165. Tarun Jwari |
| 45. Rason | 73. Maanorna | 143. Swarn Sahit
Sut Shekhar | 166. Trivikarm |
| 46. Shankh | 74. Naag | 144. Mahajawa-
rankush | 167. Updanshkar |
| 47. Shivagutika | 75. Vajrvati | 145. Mahamirtun-
jaya | 168. Updansh
Kuthar |
| 48. Shilajitwadi | RAS (Contd.) | 146. Mahavat
Vidwansakh | 169. Updansh
Surya |
| 49. Sahchar pak | 119. Bangeshwar
Briht | 147. Madhu Malini
Basant | 170. Unmad Gaj
Kesari |
| 50. Sanshamani | 120. Chinlamani | 148. Nitya Anand | 171. Unmad
Bhanjan |
| 51. Sarvagandha | 121. Chander-
yodya | 149. Nidrody | 172. Vanti Haril Ras |
| 52. Sarvagandha
dhan | 122. Chanderyodya
Bhalalk | 150. Pushpdhanwa | 173. Vishwa Tap
Haran |
| 53. Sobhgya | 123. Chanderamrit | 151. Pdrari | 174. Bhrit
Bangeshwar |
| 54. Sanjivini | 124. Durjanapas | 152. Parmanand | 175. Bhrit Somnath |
| 55. Shulverjini | 125. Galil Kuslhari | 153. Parmeh Gaj
Kesari | 176. Bhrit Vat
Chintamani |
| 56. Shukraamritak | 126. Garbh Vinod | 154. Parwal Panch
Amril Bhrit | 177. Bhrit Kasturi
Bhairav |
| 57. Sarivau Vatti | 127. Gianodya | 155. Panchnan | |
| 58. Tindukadi | 128. Hinguleshwar | 156. Puranchand-
erodya | GHRIT |
| 59. Updanshari | 129. Ichabedhi | 157. Panch Amrit | 1. Amritaprash |
| 60. Visuchikantak | 130. Jawar Kesari | 158. Sarwang
Sunder | 2. Ashawa-
gandha |
| 61. Viyoshadi | 131. Jalodarari | | |
| 62. Aptantrakari | 132. Jwarmurari | | |
| 63. Abhvamodak | 133. Jwar Ankush | | |
| 64. Abdhanp-
nahr | 134. Jwahr Mohra | | |
| 65. Gulama
Nashan | 135. Jwahari
Abhrak | | |

3. Bindu	4. Bhrit	30. Raktavatti	DRAVA
4. Bharami	vasaawieh	31. Sidhyog	1. Shank
5. Chandgeri	5. Sawalin	32. Nazla Har	2. Mahashank
6. Chhagaladi	6. Surpina	33. Hukuff	PAK & ABLEH
7. Kamdev	7. Anant Palsa	34. Sapolax	1. Ashwgandha
8. Karnjadi	8. Shilaparwang	35. Ripento	2. Chopchinyadi
9. Shirshatfal	9. Keshrijiwan	36. Netraanjan	3. Rason
10. Kumarkalyank	10. Shilata	37. Soviranjani	4. Supari Pak
11. Mahatikta	11. Bhimseni Surma	PARPATI	5. Salam mishri
12. Mahachelasa	12. Baidnath- pranda	1. Bol	6. Musli
13. Mahatrifala	13. Saffi	2. Loh	7. Didiv Avleh
14. Mahamayari	14. Ashokamrit	3. Panchamrit	MARHAM
15. Panchtikla	15. Arshgoli	4. Ras	1. Harit
16. Panchgabya	16. Pardarnashak Vatti	5. Swran	2. Rajak Adi
17. Grihtpal- kalyank	17. Dadrol	6. Sweth	3. Updandh Ghani
18. Saptprastha	18. Liv 52 tablets	7. Vijay	4. Bharangi Gur
19. Sukumarkumar	19. Liv 52 drops	8. Tamar	5. Khushawaleh
20. SwadnShlradi	20. Cyston tablets	KSHAR	6. Vasaawaleh
21. Triphla	21. Lukol tablets	1. Apamarg	PISTHI
22. Vrihadash- wagandha	22. Rumlay tablets	2. Ark	1. Akik
23. Vrihat Chhagaladi	23. Cruminill Syrup	3. Gokshur	2. Jahar Mohra Kathai
24. Vrihatstabhari	24. Livomyn tablets	4. Kadli	3. Mukta
25. Mahabhlaak	25. Livomyn drops	5. Vasa	4. Mukta Sukti
26. Phal Ghrit	26. Neo tablets	6. Vajar	5. Parval
PATENT MEDICINES	27. Vomitab	7. Yav Kshar	6. Sangeyshaya
1. Balashar	28. Matrijiwan	8. Bhalatak	7. Trinkant Mani
2. Balamrit	29. Jeevak	9. Kalyanak	8. Manik
3. Satavmulethi		10. Kantkari	9. Neelam
		11. Punamawa	
		12. Sunahi	
		13. Swajika	

[श्रीमती गीता भुक्कल भातनहेल]

LAVAN	13. Mahajurhtadi	Rasayan	40. Kushman-dawleh
1. Abhya	14. Mahabaladi	28. Chitrak Haritaki	41. Kutajawleh
2. Narikel	15. Punarnawarsh-tak	29. Chawanprash	42. Lauk sapist
3. Ark Lavan	16. Punarnawaadi	30. Diwanmasak	43. Maharason
KWATH	17. Parthadi	31. Drasha Awaleh	44. Majun Phalsari
1. Amrithastak	18. Rasansatak	32. Erandpa	45. Narikelkhand
2. Banabsadi	19. Shadang-paniya	33. Haridarakhand	46. Rajyakrishawaleh
3. Chandanadi	20. Varunadi	34. Haridarakhand Bhrit	47. Rohitka awaleh
4. Dashmool	21. Agstya Hritaki	35. Kantkari Awaleh	48. Rasonpind
5. Darvayadi	22. Amrit Bhlatak	36. Kansari	49. Subhgya Shunti
6. Dhanya-panchak	23. Mahamanjishtadi	37. Khara Khusharand	50. Bhushali Gur
7. Dwadshang	24. Astangavhleh	38. Khamira Ghajwa	51. Varsawleh
8. Janamghooti	25. Atriphal Jamani	39. Khamira Marwarid	52. Kushmad
9. Khadiradi	26. Bhushali Gurd		53. Devdaradi
10. Kirathadi	27. Bharami		
11. Kshudhrodi			
12. Maharasadi			

Construction/Repair of Roads

34. **Shri Rajbir Singh:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

- the time by which the construction/repair work of roads damaged due to heavy rains and floods in Mulana Constituency is likely to be completed; and
- whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the National Highway-73 from Saha to Yamuna Nagar ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

- वर्तमान में भारी वर्षा/बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुई अधिकतर सड़कों के अनुमान प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति उपरान्त क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण/मरम्मत चाहे वित्तीय वर्ष में कर दी जाएगी।
- हां, श्रीमान् जी।

Govt. College at Gharaunda

37. **Shri Narinder Sangwan, M.L.A. :** Will the Education Minister be pleased to state—

- (a) whether the Government is aware of the facts that there is great necessity of a Government Girls College at Gharaunda; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open the Government Girls College at Gharaunda; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) :

- (क) हाँ श्रीमान् जी,
- (ख) नहीं श्रीमान् जी, घराँडा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Four Laning of Bhiwani to Rohtak Road

41. **Shri Ghanshyam Saraf:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to four lane the road from Bhiwani to Rohtak; and
- (b) whether the roads of the Bhiwani city are in damaged condition; if so, the time by which these roads are likely to be repaired?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

- (क) हाँ, श्रीमान् जी।
- (ख) हाँ, श्रीमान् जी। पैच कार्य व गड्ढे भरने के साथ मरम्मत का कार्य 30.11.2010 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

Opening of Anganwari Centres

45. **Shri Phool Singh Kheri:** Will the Women and Child Development Minister be pleased to state the number of Anganwari Centres to be opened in Guhla constituency togetherwith the time by which the said Anganwari Centres are likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) : गुहला निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 106 आंगनवाड़ी केन्द्र जिसमें 7 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र शामिल हैं, खोले जाने हैं, जिनको वर्ष 2010-2011 में खोले जाने की संभावना है।

Policy for Allotment of Industrial Plots

30. Shri Ram Pal Majra : Will the Industries & Commerce Minister be pleased to state whether there is any policy to allot the industrial plots for setting up the industry in the State; if so, the number of plots allotted from March, 2005 till-to-date togetherwith the names of the allottees and the places where the said plots have been allotted?

Interim Reply**Randeep Singh Surjewala**

D.O. No. 49/PAM/2010
Public Health Engineering,
PWD(B&R), Electronics &
Information Technology, Science
& Technology and
Parliamentary Affairs Minister
Haryana, Chandigarh.
Telefax No. 0172-2740212 (O)
Dated : 02.06.2010

Respected Sh. H.S. Chattha ji,

Subject : Grant of time/extension for furnishing reply to the un-starred question No. 30 by Shri Ram Pal Majra, MLA - regarding.

The question No. 30 raised by the Hon'ble Member, Shri Ram Pal Majra, MLA and included in the list of un-starred questions for 3rd September, 2010 reads as under :—

“Will the Industries & Commerce Minister be pleased to state whether there is any policy to allot the industrial plots for setting up the industry in the State; if so, the number of plots allotted from March, 2005 till-to-date togetherwith the names of the allottees and the places where the said plots have been allotted?”

A reply to the above question involves collection of voluminous and authentic information from various field offices of the HSIIDC. The collection and compilation of the said information is likely to take at least one month's time. Accordingly, the Industries & Commerce Department has requested for grant of extension/time for one month for submission of the said information.

Keeping in view the genuineness of the request, I request you to kindly accept the proposal of the Department and grant one month's time for collection, compilation and submission of the said information.

Warm Regards,

Yours sincerely,
Sd/-

(Randeep Singh Surjewala)

Sh. H.S. Chattha,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.

Functioning of Water Works

28. **Shri Kali Ram:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that water works of village Muwana in Safidon constituency is not functioning; if so, the reason thereof; and
- (b) the time by which the said water works is likely to start functioning?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

- (क) नहीं, श्रीमान् जी।
- (ख) गांव मुवाना में नहर आधारित जलघर पहले ही 1 अप्रैल, 2009 से चल रहा है और 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जगह वर्तमान पेयजल स्तर 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। नवम्बर 2010 तक शेष पाईपलाईन बिछाने के बाद इस योजना का स्तर बढ़ाकर 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो जाएगा।

Construction of Bus Queue Shelter

35. **Shri Rajbir Singh:** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Bus Queue Shelter at bus stand of Saha?

परियहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : नहीं, श्रीमान् जी।

Railway Overbridge at Gharaunda

38. **Shri Narender Sangwan:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the Railway overbridge at Gharaunda; if so, details thereof?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

New College in Bhiwani

42. **Shri Ghanshyam Saraf:** Will the Education Minister be pleased to state whether the strength of college students in the district Bhiwani is increasing year after year; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open any new college in district Bhiwani?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुवकल, मातनहेल) : हाँ श्रीमान् जी, तथापि जिला भिवानी में वर्तमान में नया महाविद्यालय खोलने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Compensation for Tube-Wells

46. **Shri Phool Singh Kheri:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide compensation to the farmers whose tubewells have become inoperative due to floods; if so, the amount of compensation togetherwith the time by which the said compensation is likely to be paid?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान, नलकूपों के लिए राहत राशि देने हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है तथा राहत राशि दो महीनों में दिए जाने की सम्भावना है।

Construction of CHC

32. **Shri Ram Pal Majra:** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct building of the Community Health Centre at Rajaund in District Kaithal; if so, the time by which the building of said Community Health Centre is likely to be constructed?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) : जी नहीं, श्रीमान्।

Status of Model School

36. **Shri Rajbir Singh:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to give status of Model Schools to the Govt. Senior Secondary School, Adhoya in Brara Block and Govt. Senior Secondary School, Bihta in Saha Block?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) : नहीं, श्रीमान् जी।

Widening of Roads

39. **Shri Narender Sangwan:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the following roads in Gharaunda constituency :—

- (i) Gharaunda Gagsina road in Ghauranda;
- (ii) Khushgarh to Dabarki Kalan Road;
- (iii) Khera Chhapra to Chundipur Road; and
- (iv) Village Pawar to Kutail road; if so, details thereof?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

Sanitation in Bhiwani City

43. **Shri Ghanshyam Saraf:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether the sanitation system of Bhiwani city is in proper condition; if not, the reason thereof togetherwith the steps being taken by the Government to improve the sanitation system?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : भिवानी शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नगरपरिषद्, भिवानी द्वारा भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए नगरपरिषद्, भिवानी द्वारा समय-समय पर उपायुक्त भिवानी के दिशा-निर्देश एवं मार्ग-दर्शन में विशेष सफाई अभियान चलाये जाते रहे हैं। नगरपरिषद् द्वारा हाल ही में शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 ट्रैक्टर-ट्राली सहित, 65 कूड़ेदान, 140 रिक्शा रेहड़ियों तथा 150 हाथ रेहड़ियों की खरीद की गई है।

Construction of Road

33. Shri Ram Pal Majra: Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the road from village Titram to Pyoda constructed many years ago by the Electricity Department has been damaged completely; if so, whether there is any proposal under consideration of Government to construct the said road from village Titram to Pyoda upto Power House; and
- (b) if so, the time by which the said road is likely to be constructed ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क तथा ख) श्रीमान् जी, यह तथ्य है कि बिजली विभाग द्वारा कई वर्षों पहले निर्मित की गई गांधी तिलरम से प्योदा पावर हाउस तक सड़क क्षतिग्रस्त हालत में है। इस सड़क की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Construction of Roads

40. Shri Narender Sangwan: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Gharaunda constituency :—

- (i) Manglesh to Nangla Medha;
- (ii) village Mandogarhi to Badhash via Shamshan Ghat;
- (iii) village Nangla farm to Ganjo Gashi; and
- (iv) village Khera Chhapra to Sohana; if so, details thereof?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

Shortage of Basic Amenities

44. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is shortage of basic amenities in new Grain Market of Bahal; if so, the time by which the basic amenities are likely to be provided?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) : नई अनाज मण्डी बहल में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि चार दीवारी, व्यक्तिगत प्लेटफार्म, कॉमन प्लेटफार्म, अन्दरूनी सड़कें तथा पार्किंग, जल प्रबन्धन व विद्युत आपूर्ति पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। इन सुविधाओं के और सुधार के लिए बाकी बची सड़कों व पार्किंग के निर्माण कार्य तथा चार व्यक्तिगत प्लेटफार्मों की मरम्मत हेतु बोर्ड ने 82,08,000/- रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30.8.2010 को प्रदान कर दी है। ये अतिरिक्त सुविधाएं 31.3.2011 तक उपलब्ध करवा दिए जाने की संभावना है।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) चेयरपर्सन के नामों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairperson :—

1. Prof. Sampat Singh
2. Shri Anand Singh Dangi
3. Shri Rampal Majra
4. Shri Anil Vij

(ii) अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an intimation from Rao Yadendra Singh, M.L.A. dated 22nd August, 2010, which reads as under :—

"I am writhing to recuse myself for the first day of Session on the 3rd September, 2010."

I will be very obliged if you condone my absence to attend the Session on the aforesaid date. I am not able to attend due to my personal and prior commitment."

Question is—

That permission for leave of absence to Rao Yadendra Singh, MLA to remain absent from the sittings of the House on 3rd September, 2010, be granted.

Voice : Yes, yes.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an intimation from Rao Dharam Pal, M.L.A. dated 1st September, 2010, which reads as under :—

"Due to ailment I will not able to attend Haryana Vidhan Sabha Session on 3rd September, 2010. So, you are requested to grant me necessary permission."

Question is—

That permission for leave of absence to Rao Dharam Pal, MLA to remain absent from the sittings of the House on 3rd September, 2010, be granted.

Voice : Yes, yes.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an intimation from Smt. Saroj Mor, M.L.A. dated 31st August, 2010, which reads as under :—

“It is to bring is to your kind notice that I name - Saroj Mor, M.L.A. (INLD) Halka - Narnaund have undergone a surgery on 16th July, 2010 and not feeling well since then. So, I will not be able to attend the current Session of Vidhan Sabha.

It is therefore, to request you that leave may be granted.”

Question is—

That permission for leave of absence to Smt. Saroj Mor, M.L.A. to remain absent from the sittings of the House for the current Session be granted.

Voice : Yes, yes.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an intimation from Shri Naresh Selwal, M.L.A. which reads as under :—

“I will not be able to attend the ensuing September Session due to some personal affairs. Therefore, leave of absence may kindly be granted to me.”

Question is—

That permission for leave of absence to Shri Naresh Selwal, M.L.A. to remain absent from the sittings of the House for the current Session be granted.

Voice : Yes, yes.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an intimation from Smt. Kiran Chaudhry, M.L.A. dated 30th August, 2010, which reads as under :—

“I will not be able to attend the coming Assembly Session commencing from 3rd of September, 2010 due to my personal reasons.

This is for your information please.”

Question is—

That permission for leave of absence to Smt. Kiran Chaudhry, M.L.A. to remain absent from the sittings of the House for the current Session be granted.

Voice : Yes, yes.

The motion was carried.

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker: Now, the Secretary will make the announcements.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने फरवरी, 2009 तथा मार्च, 2010 में हुए सत्रों में पारित किए गए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

FEBRUARY SESSION, 2009

The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2009.

MARCH SESSION, 2010

1. The East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill, 2010.
2. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment), Bill, 2010.
3. The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2010.
4. The Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2010.
5. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2010.
6. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2010.
7. The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2010.
8. The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2010.
9. Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Bill, 2010.
10. The Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Bill, 2010.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरी भी काल अटेंशन मोशन थी, उनका क्या हुआ ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप सदन की अगली कार्यवाही शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कुछ ऐडजर्नमेंट मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी इन ऐडजर्नमेंट मोशन के बारे में आपने क्या फैसला लिया ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप बैठें। उनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपके बताने में भी कई राज छिपे होते हैं। (विध्वन)

श्री अध्यक्ष : नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ऐडजर्नमेंट मोशंज है वे बड़ी ही जरूरी हैं, पहले आप उन पर ध्यान दें। आज औबीचुअरी रिफरेंसिज में सरकार ने यह तसलीम किया है कि बाढ़ की वजह से हरियाणा प्रदेश के कुछ जिलों में 38 लोग मारे गए और हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति बर्बाद हो गई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) गरिमा तो आप मुझे सिखाते हैं जबकि गरिमा आपको नहीं है। अगर मैं आपकी बात का जवाब दिये बगैर बीच में छोड़ कर चला गया तो फिर आप कहना।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बला रहा हूँ कि यह बात आपके ध्यान में रहे और चलते चलते आप इसको कहीं और न ले जाएं। हमारी इन ऐडजर्नमेंट मोशंज से आपका ध्यान हट न जाए इसलिए हमें चिंता हो रही है।

श्री अध्यक्ष : चिंता से और ऐज के साथ आपका दिल वैसे ही धड़कता है। अपने दिल को मजबूत रखो। आप बैठिये। मैं सभी की काल अटेंशन मोशंज व ऐडजर्नमेंट मोशंज का फेट बला देता हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मेरा दिल तो बहुत ही मजबूत है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

Mr. Speaker : I have received a Calling Attention Notice from Shri Anil Vij, MLA regarding non-payment of interest to the farmers by the Sugar Mill, Naraingarh. I have sent it to the Government for comments within 48 hours. I have received another Calling Attention Notice from Shri Anil Vij, MLA regarding imposition of House Tax by the Government in Haryana State. It has been admitted for 6-9-2010. I have received third Calling Attention Notice from Shri Sampat Singh, MLA regarding the losses suffered by the people of Haryana in general and farmers in particular by floods and rains. It has been admitted for 6-9-2010. I have received another Calling Attention Notice from Shri Sampat Singh, MLA regarding land acquisition by Haryana Government in public interest. It has been admitted for 7-9-2010.

स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के परिणाम

I have received Adjournment Motions from Shri Kuldeep Bishnoi, MLA (i) regarding complete failure of Law and Order in the State of Haryana. It is under consideration. (ii) regarding deteriorating conditions of farmers due to lack of proper policies of Haryana Government. It is also under consideration. (iii) regarding heavy loss to crops and property in recent Flash Floods in the State of Haryana. It has been converted into Calling Attention Notice and clubbed with the Notice of Shri Sampat Singh which is admitted for 6-9-2010. I have received an Adjournment Motion from Shri Ram Pal Majra, MLA and two other M.LAs regarding the exorbitant price rise of essential commodities. It has been disallowed. I have received an Adjournment Motion from Shri Ashok Kumar Arora, MLA and two other M.LAs

[Mr. Speaker]

regarding the loss of lives of persons, crops, cattle, tubewells, fertilizer stored by farmers for crops. It has been converted into Calling Attention Notice and clubbed with the Notice of Shri Sampat Singh, MLA which has been admitted for 6-9-2010. I have received an Adjournment Motion from Shri Ram Pal Majra, MLA and Shri Bishan Lai Saini, MLA regarding acquisition of land by the HSIIDC in Gurgaon, for sale to the DLF. It has been converted into Calling Attention Notice and admitted for 7-9-2010. I have received an Adjournment Motion from Shri Anil Vij, MLA regarding heavy loss to crops of farmers in recent floods in the State of Haryana. It is under consideration.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन यानि काम रोकने प्रस्ताव का मतलब है कि कोई जरूरी मामला आ जाए तो बाकी कामों को रोक दिया जाए। बाढ़ की वजह से आधे से ज्यादा हरियाणा में नुकसान हुआ है। ओम्बुयरी रैफ्रैसिज में भी लीडर ऑफ दि हाउस ने और सरकार ने माना है कि हरियाणा में बाढ़ की वजह से 38 लोग मर गए और हजारों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बरबाद हो गई और अभी तक सरकार की तरफ से लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया जबकि राजस्थान में 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिस्से से सबको रिलीफ दिया गया है। पंजाब में भी रिलीफ दिया गया है। दूसरे सूबों में भी रिलीफ दिया गया है लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जो नुकसान है वह सरकार की वजह से हुआ है। हरियाणा में हांसी-बुटाना नहर के बारे में मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, सबक मुझे तो सिखाते हो और गलती आप करते हो। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं, नहीं मैं गलती नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : सबक पढ़ाते-पढ़ाते आप पहले पढ़ आया करो ना (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : फिर वहीं बात, आप मुझे पढ़ा देना, बाद में पढ़ा देना। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आप ज्यादा पढ़े हुए हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बाढ़ की वजह से प्रदेश को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए.....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, उसको क्लब कर दिया है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं-नहीं, क्लब नहीं करना। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब यह है कि सारे काम रोककर उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप हमारी इस एडजर्नमेंट मोशन को कालिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर रहे हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वो मैंने कर दिया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम चाहते हैं कि यह एडजर्नमेंट मोशन ही एडमिटेड होनी चाहिए। सारे काम रोककर पहले चर्चा इसी पर होनी चाहिए। यह ज्यादा जरूरी मामला है क्योंकि लोगों को तो अब तक भी बैठने के लिए जगह नहीं है। खेत तो बर्बाद हो गए हैं, उनके आवास की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है।

Mr. Speaker : I have taken the decision. (Interruption) I have clubbed it with the Calling Attention Notice and the Government will reply to it.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चल पाएगा। (विघ्न) यह सदन तब चलेगा जब एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा पहले होगी। (विघ्न)

Mr. Speaker : I have taken the decision. I have clubbed it. The Government will reply to it. You can put the questions. (interruptions)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : क्या आप चलायेंगे इस सदन को ? बहुमत से यह सरकार चलेगी। (विघ्न) आप इस सदन के सम्मानीय सदस्य हैं

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ये बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, मैंने आप से बार-बार कहा है। यहां अनाधिकार चेष्टा हो रही है। (विघ्न) हम आपके माध्यम से बात करते हैं ये कौन होते हैं ? इससे वेदखली हो जाती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी एक विनती सुनिए । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, आप उसका जवाब दीजिए। (विघ्न) आप बहुत लर्निड आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं तो लर्निड नहीं हूँ। आप मेरी विनती तो सुनते नहीं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है ? एडजर्नमेंट मोशन का मतलब यह होता है कि और सारे काम रोक कर पहले इस जरूरी विषय पर चर्चा की जाए। आज बाढ़ से ज्यादा दुखदायी घटना हरियाणा प्रदेश में नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : एडजर्नमेंट मोशन को कालिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट करना भी इसी कानून में लिखा है। इसी किताब में लिखा है कि उसको कन्वर्ट करके कालिंग अटेंशन मोशन के साथ ले आओ। इसी विषय पर तीन-चार कालिंग अटेंशन मोशन इक्ट्री हो गईं। आप सबको दो-दो सबाल करने का मौका मिलेगा और सारी की सारी गर्वनमेंट की वर्सन आपके सामने आ जाएगी। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : एडजर्नमेंट मोशन का मतलब तो यह होता है कि और सारे काम रोक कर पहले इस जरूरी विषय पर चर्चा की जाए।

श्री अध्यक्ष : ये जरूरी थोड़ा ही है कि सारे काम हर वक्त रोक कर ही रखने हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हां, रोकने ही पड़ेंगे, यह तो जरूरी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ये इतना जरूरी नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह जरूरी मामला है। (विघ्न)

Mr. Speaker : I have taken the decision. (Interruptions) All are merged and the Government will reply to it. (Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपके डिसेजन की बात ठीक है लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि पहले इस पर चर्चा हो जाए।

Mr. Speaker : The Government will reply to it and you will put the questions.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इस विषय पर चर्चा से पहले हम किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। (विघ्न) हम हाउस को तब चलने देंगे जब इस पर बात होगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं अपने पद की गरिमा का भी ध्यान रख रहा हूँ और अपनी पगड़ी की गरिमा का भी ध्यान रखता हूँ। आप ये मत सोचिए कि मुझे किसी का पता नहीं। (विध्वन) हम आपका मान-सम्मान इसलिए नहीं करते. (शोर एवं विध्वन)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, nobody can hold this House on ransom और किसी को कोई अख्तियार नहीं है कि चेयर के ऊपर कोई इस प्रकार से कटाक्ष कर सके। अध्यक्ष महोदय, आप बड़ी उदारता से विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं। (विध्वन) अगर ये चेयर पर कटाक्ष करेंगे तो हम जो सही बात है वो सदन के समक्ष रखेंगे। इनको इस बात का अख्तियार नहीं है कि ये चेयर पर जब भी चाहें कटाक्ष करें और यह कहें कि हाउस मेरी मर्जी से चलेगा। (शोर एवं विध्वन) अध्यक्ष महोदय, इस हाउस को इस सदन के सदस्य ही चलायेंगे। (शोर एवं विध्वन) ओम प्रकाश चौटाला जी की मर्जी से हाउस नहीं चलेगा। (शोर एवं विध्वन)

Mr. Speaker : Everybody please to take the seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिये हैं, पहले उन पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं विध्वन)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, वह मैंने डिस्टाईंड कर दिया है। (शोर एवं विध्वन) प्लीज आप बैठें। I am not going to change my decision. (Noise and Interruption).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी रिवायत नहीं है। (शोर एवं विध्वन)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, यह आप ठीक नहीं कर रहे। प्लीज, आप बैठें। (शोर एवं विध्वन) मैंने आपको कह दिया है कि आपकी एक-एक बात का जवाब देकर जाऊंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इससे अहम मुद्दा और सदन के सामने नहीं हो सकता। (शोर एवं विध्वन)

श्री अध्यक्ष : नहीं है, इसीलिए 4-5 एडजर्नमेंट मोशनज को इक्का कर दिया है। इसमें सबको जवाब देने का और सवाल पुट करने का अधिकार होगा। (शोर एवं विध्वन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं-नहीं, इस पर इतना नहीं हो पायेगा। (शोर एवं विध्वन)

श्री अध्यक्ष : सबको मौका मिलेगा। (शोर एवं विध्वन) चौधरी साहब, ऐसा हमेशा होता है। (शोर एवं विध्वन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे काम रोको प्रस्तावों पर चर्चा होनी चाहिए ताकि सभी सदस्य इस पर अपनी बात कह सकें। (शोर एवं विध्वन) फिर अगली कार्यवाही शुरू हो। (शोर एवं विध्वन)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं चौटाला साहब आप बैठें। (शोर एवं विध्वन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं-नहीं, पहले इस पर चर्चा करेंगे। (शोर एवं विध्वन) अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात कहे जा रहे हैं और हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। (शोर एवं विध्वन)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। (शोर एवं विध्वन)

Mr. Speaker : I have taken the decision. I am not going to change the decision. That is correct decision. (Noise and Interruption). I am not going to change it.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह केवल इस हाउस की चिंता का ही विषय नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की चिंता का विषय है। पूरे प्रदेश में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए।

Mr. Speaker : Everything will come up. Let me proceed. (Noise and Interruption). Don't try to disturb the House.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोक दल और शिरोमणी अकाली दल के सदस्य सदन की वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे।)

Mr. Speaker : Don't try to disturb the House. Please go to your seats. Let me proceed. (Noise and Interruption).

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Friday the 3rd September, 2010 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Friday, the 3rd September, 2010 at 2.00 P.M. and adjourn after conclusion of Business entered in the List of Business for the day.

On Monday, the 6th September, 2010, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put.

On Tuesday, the 7th September, 2010, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 3rd, 6th and 7th September, 2010 be transacted by the Sabha as follows:—

- | | |
|--|--|
| Friday, the 3rd September, 2010
(2.00 P.M.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Obituary References. 2. Questions Hour. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 5. Presentation of first Preliminary Report of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final report thereon. |
|--|--|

[Mr. Speaker]

6. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2010-11 and the report of the Estimates Committee thereon.

Saturday, the 4th September, 2010

HOLIDAY

Sunday, the 5th September, 2010

HOLIDAY

Monday, the 6th September, 2010
(2.00 P.M.)

1. Questions Hour.
2. Legislative Business.

Tuesday, the 7th September, 2010
(9.30 A.M.)

1. Question Hour.
2. Motion under Rule-15 regarding Non-stop Sitting.
3. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
4. Papers to be laid, if any.
5. The Haryana Appropriation Bill, 2010 in respect of Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2010-11.
6. Legislative Business.
7. Any other Business."

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is-

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table—

The Kurukshetra University (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 1 of 2010).

Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 2 of 2010).

The Maharshi Dayanand University (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 3 of 2010).

Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 4 of 2010).

Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 5 of 2010).

Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 6 of 2010).

YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 7 of 2010).

Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 8 of 2010).

The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 9 of 2010).

Sir, I beg to re-lay on the Table—

The Personnel Department Notification No. G.S.R.20/Const./Art. 320/2009, dated the 25th August, 2009 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I beg to lay on the Table—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 15/Const./Art. 320/2010, dated the 17th June, 2010 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The 42nd Annual Report & Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Panchkula for the year 2008-2009, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report and Annual Accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board, Panchkula for the year 2005-2006, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Audit Report and Annual Accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board, Panchkula for the year 2006-2007, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2006-2007, as required under section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2007-2008, as required under section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The 41st Annual Report of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited for the year 2007-2008, as required under section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 41st Annual Report of Haryana Warehousing Corporation for the year 2007-2008, as required under section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The Report of 3rd State Finance Commission Haryana (December, 2008), as required under clause 4 of Article 243-I and clause 2 of Article 243-Y of the Constitution of India.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध

16.00 बजे **Mr. Speaker:** Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/breach of privilege by him and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Dr. Raghuvir Singh Kadian (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/breach of privilege by him.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला एम.एल. ए. के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so, Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Dr. Raghuvir Singh Kadian (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so, Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House.

[Dr. Raghuvir Singh Kadian]

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for the welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Dr. Raghuvir Singh Kadian (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired

this land for the welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the aforesaid subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

वर्ष 2010-2011 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates 2010-2011 (First Instalment).

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates 2010-2011 (First Instalment).

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Rao Narender Singh, a member of the Committee on Estimates, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2010-2011 (First Instalment).

Rao Narender Singh (Member, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2010-2011.

वर्ष 2010-2011 अनुपूरक अनुमानों (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion and voting on the Supplementary Estimates 2010-2011 (First Instalment) will take place.

As per the past practice and to save the time of the House, the demands on the order paper No. 2 to 9, 12, 15 to 16, 19 to 20, 22, 24 to 27, 30, 32 to 34, 36 to 38, 42 and 44 will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,50,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,81,51,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 3-General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 497,91,43,184/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 4-Revenue.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 8,52,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No.5-Excise & Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,60,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,23,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 7-Planning and Statistics.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 18,71,00,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 187,90,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 260,83,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,46,35,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 12- Art & Culture.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 22,23,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 15- Local Government.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,18,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 16-Labour.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 38,93,602/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 19-Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 90,77,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 20- Social Security and Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,70,21,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 22-Welfare of Ex-Servicemen.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 10,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 24-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 79,59,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 25-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 40,50,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 26-Mines & Geology.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,66,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 27- Agriculture.**

[Mr. Speaker]

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,57,55,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 30-Forest & Wild Life.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 33,65,42,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 32-Rural & Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 86,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 33 Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 34-Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 21,34,10,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 36-Home.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,88,97,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 37-Elections.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 177,77,67,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 352,20,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 38-Public Health and Water Supply.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 41,69,99,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 42-Administration of Justice.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,14,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 44-Printing and Stationery.**

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the Vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,50,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,81,51,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 3-General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 497,91,43,184/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 4-Revenue.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 8,52,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No.5-Excise & Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,60,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,23,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 7-Planning and Statistics.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 18,71,00,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 187,90,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 260,83,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 9-Education.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,46,35,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 12- Art & Culture.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 22,23,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 15- Local Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,18,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 16-Labour.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 38,93,602/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 19-Welfare of SCs & BCs.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 90,77,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 20- Social Security and Welfare.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,70,21,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 22-Welfare of Ex-Servicemen.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 10,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 24-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 79,59,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 25-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 40,50,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 26-Mines & Geology.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,66,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 27- Agriculture.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,57,55,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 30-Forest & Wild Life.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 33,65,42,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 32-Rural & Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 86,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 33- Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 34-Transport.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 21,34,10,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 36-Home.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,88,97,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 37-Elections.**

(1)88

हरियाणा विधान सभा

[3 सितम्बर, 2010]

[Mr. Speaker]

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 177,77,67,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 352,20,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 38-Public Health and Water Supply.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 41,69,99,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 42-Administration of Justice.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,14,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 43-Printing and Stationery.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 6th September, 2010.

*16.08 Hrs.

(The Sabha then *adjourned* till 2.00 P.M. on Monday, the 6th September, 2010).

